BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 820/2024

IN THE MATTER OF:

TRIBUNAL ON ITS OWN MOTION- SUO MOTU
BASED ON NEWS ITEM TITLED "22 SAAL SE BAND COMPANY MEIN KAAT DIYE 1 HAZAAR SE JYADA PED NOIDA MEIN VAN VIBHAG NE JABT KIYA KATE PEDO SE BHARA TRUCK" APPEARING IN NAVBHARAT TIMES DATED 11.06.2024

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT BY REPONDENT NO. 2, PCCF, U.P. IN COMPLAINCE OF ORDER DATED 03.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNCIL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.- 6375115224

DATE: 09.05.2025
PLACE:LUCKNOW

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 820/2024

IN THE MATTER OF:

TRIBUNAL ON ITS OWN MOTION- SUO MOTU BASED ON NEWS ITEM TITLED "22 SAAL SE BAND COMPANY MEIN KAAT DIYE 1 HAZAAR SE JYADA PED NOIDA MEIN VAN VIBHAG NE JABT KIYA KATE PEDO SE BHARA TRUCK" APPEARING IN NAVBHARAT TIMES DATED 11.06.2024

AFFIDAVIT OF RESPONDENT NO. 2, PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FOREST, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 03.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I Sunil Chaudhary, aged about 58 years, S/o Late Shri Lashkari Ram, posted as Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, State of Uttar Pradesh, Lucknow do hereby most solemnly state and affirm as under;

1. That I, Sunil Chaudhary, posted as Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, State of Uttar Pradesh, Lucknow fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
Devi Das Marg
Chowk, Lucknow

09 MAY 2025

2. That, the present matter pertains to the illegal felling of more than a thousand trees in Greater Noida's DCM Company that has been shut for 22 years.

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.02.2025 issued the following direction to the Deponent:

> *"...6. A separate reply on behalf of the DFO, Gautam Budh Nagar has been filed which does not disclose any material facts relating to the efforts by the Authorities to trace out and take action against those involved in the illegal felling of trees. It only discloses the lapse on the part of the 2 security guards in protecting the sealed gate of M/s Shakuntalam Landcraft Private Limited. It does not even disclose the action against the guards who had committed the lapse. The above reports submitted by Respondent No. 1, 2 and 4 and also by the DFO, Gautam Budh Nagar reveal unsatisfactory efforts in the matter which involves the felling of such a large number of trees. Hence, we required the Respondent No. 2-Principal Chief Conservator of Forest to look into the matter personally and appear virtually before the Tribunal on the next date of hearing to appraise us about the legal status of cutting of tees and the action that has been taken..."*

A copy of the order dated 03.02.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

4- That is compliance of the Hon'ble Court order dated 03.02.2025 the deponent had issued letter dated 06.05.2025 to Chief Conservator of

NOTARY Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow R. No 31 (89) 09 GOVT. OF UP INDIA

SURESH KUMAR Advocate & Notary Public

09 MAY 2025

Forests, Western Zone, Meerut to enquire and submit the fact finding report and action taken report to the deponent.

A copy of the letter dated 06.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

5- That, the Chief Conservator of Forests, Western Zone, Meerut had submitted the detailed report with facts and action taken vide his letter no. 1786/35-3 dated 08.05.2025.

A copy of report submitted by Chief Conservator of Forests, Western Zone, Meerut dated 08.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

NOTARY GOVT. OF UP INDIA Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow R. No 31 (89) 09

6- That, the above report submitted by Chief Conservator of Forests, Western Zone, Meerut dated 08.05.2025 is being reviewed.

7- Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

8- I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom with request to exempt the deponent his personal appearance.

DEPONENT

SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
117/175-KA/14, Near Major Devi Das Marg
Niwaj Ganj, Chowk, Lucknow
Reg. No. 31/89/09

0 9 MAY 2025

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 09 day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 8 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Sworn and verified before me.
SURESH KUMAR
Advocate & Notary Public
417/175-KA/14, Near Majar Devi Das Marg
Nikal Ganj, Chowk, Lucknow

09 MAY 2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 820/2024

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

09 MAY 2025

ANNEXURE NO. 1

Annexure-1

Item Nos. 11 & 12 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 820/2024
(I.A. Nos. 495/2024 & 494/2024)

News Item titled ""22 साल से बंद कंपनी में काट दिए 1 हजार से ज्यादा पेड़, नोएडा में वन विभाग ने जब्त किया कटे पेड़ों से भरा ट्रक" appearing in Navbharat Times dated 11.06.2024

With

Original Application No. 896/2024

Sameer Sharma Applicant

Versus

Shakuntalam Landcraft Pvt. Ltd. & Ors. Respondent(s)

NOTARY Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow Regd. No 31 (89) 09 GOVT. OF UP INDIA

Date of hearing: 03.02.2025

09 MAY 2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Sameer Sharma, Applicant in Person in OA 896/2024

Respondents: Ms. Suhasini Sen & Ms. Surbhi, Advs. for MoEF & CC
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Adv. for the State of UP (Through VC)
Mr. Akash Vashishtha, Adv. with Mr. Vikrant Tongad, Applicant in I.A No. 494-495/2024

ORDER

Original Application No. 820/2024

1. In this Original Application, registered suo-motu, the Tribunal is considering the illegal felling of large number of trees in Greater Noida's DCM Company which has been lying shut for the last 22 years. By orders dated 12.07.2024 and 14.10.2024, the concerned Respondents were impleaded, and notices were issued to them. The response on behalf of the Respondent No. -1, 2 and 4 have been filed disclosing that the premises of Daewoo Motors referred to DCM Company has been acquired

by Shakuntalam Land Crafts Private Limited. Hence, we implead the following as additional Respondent in this matter :-

1. Shakuntalam Land Crafts Private Limited
Through its Director
225, Okhla Industrial Estate Phase-III,
New Delhi 110020

2. Registry is directed to issue notice to above newly added Respondent.

3. The reply of Respondent No. 1, 2 and 4 also discloses as under:-

> "3. *That on 10.06.2024, reliable sources provided information regarding illegal tree felling at the DCM Company, Greater Noida, Plot No. 02, Surajpur. Subsequently, the Range Forest Officer, Dadri took prompt action on the said matter upon the directions from the Divisional Forest Officer, Gautam Buddh Nagar. The Range Forest Officer along with staff visited the site and conducted a thorough inspection.*
>
> 4. *That at the scene of the incident, un Eicher-409 truck having registration number UP14 HT0303 was loaded with neem, eucalyptus, and subabul trees, along with a tractor-trolley without a registration number, were found. Following which the drivers, Mr. Wasim Khan, S/o Mr. Rauf Khan, R/o Bawan Khedi, District Amroha and Mr. Mujahid Khan S/o Mr. Abrar Khan, R/o Bawan Khedi, District Amroha, were questioned. Through the questioning, it was revealed that they did not have a valid permit for tree cutting. As a result, the felling was deemed illegal.*
>
> 5. *That consequent to the inspection and the questioning of the drivers, the Range Forest Officer, Dadri registered 112 case against the drivers having case no. Case No. 16/2024-25 under Sections 4, 10, and 11 of the Tree Protection Act, 1976, and Sections 3 and 28 of the Uttar Pradesh Transport Rules, 1978. The Eicher-409 truck and tractor-trolley without a registration number was confiscated and taken into departmental custody*
>
> *A copy of the case registered having Case No. 16/2024-25 is annexed herewith and marked as ANNEXURE R1.*
>
> 6. *That during the investigation in the aforementioned H2 case, it was revealed that the Daewoo Motors, herein referred to as DCM Company by the Hon'ble Tribunal, has been acquired by the Shakuntalam Land Crafts Pvt. Ltd*

NOTARY ★ Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow No 31 (89) 09 ★ GOVT. OF UP INDIA

7. *Furthermore, notices were issued by the Forest Department against the accused, Wasim Khan S/o Rauf Khan R/o Bawan Khedi, District Amroha, Mujahid Khan S/o Abrar Khan Rio Bawan Khedi, District Amroha and Shakuntalam Land Crufts Pvt. Ltd., the landowner of the estate in question. Through the issued notices, the noticee were asked to be present before the department on 14.06.2024 and present their side of the case and their position in it.*

   A copy of notices issued against the accused is annexed herewith and marked as ANNEXURE R2.

8. *That on 25.06.2024, information was again received regarding illegal felling of trees at the premises of the Shakuntalam Land Crafts Pvt. Ltd., which has now been acquired by Shakuntalam Land Crafts Pvt. Ltd., Greater Noida. In response to the information received, the Range Forest Officer, Dadri, along with staff visited the site of the incident. Thereafter, the site was inspected immediately and it was confirmed by the R.F.O., Dadri, that the illegal felling of trees had taken place Consequently, H2 Case No. 21/2024-25, dated 25.06.2024, was registered under the relevant provisions of the Tree Protection Act, 1976."*

NOTARY GOVT. OF UP INDIA Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow No 31 (89) 09

4. The above reply reveals that based on the information received on 10.6.2024, one Eicher-409 Truck and a tractor trolley without a registration number were seized which were found involved in the transportation of illegally cut timber and on that basis the Range Forest Officer, Dadri registered H2 case against the driver having case number 16/2024-25 under section 4, 10 and 11 under Tress Protection Act, 1976 and Section 3 and 28 of the Uttar Pradesh Transport Rules 1978.

5. Learned Counsel for the State has informed that the seized vehicle and timber have been released after the Competent Court. From Annexure R8, we find that in the joint Inspection by the Forest Officers, 980 trees were found to be cut. The reply from Respondents No. 1, 2, and 4 reveals that action has only been taken against two vehicles transporting timber from illegally cut trees. This can, by no means, be

timber from 918 trees; it has been pointed out that such timber could, at most, be from 8 to 10 illegally cut trees. There is no record indicating what action has been taken by the Forest Department to trace the timber cut from the more than 900 other trees, nor to identify the individuals responsible for their illegal felling. During the arguments, an attempt has been made to demonstrate that taking action against the drivers of the two vehicles—namely, one Eicher-409 truck and a tractor trolley without a registration number—constitutes adequate action by the Forest Department/authorities regarding the illegally cut trees. In response to our query about any action taken against Shakuntalam Landcrafts Private Limited, the learned Counsel for the State referred to the notice on page 58, which has no reference number and date. Upon minute examination of the replies of Respondents No. 1, 2, and 4, we find that adequate action has not been taken by the concerned officers to trace those responsible for the illegal felling of 980 trees or to recover the timber from illegally cut trees. There appears to be a lapse on the part of the authorities in this matter. Based On the manner in which the learned Counsel for the State is responding to the Tribunal's queries, we gathered that the issue related to the felling of 980 trees, which is a significant number, has not been taken seriously by the State authorities.

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

6. A separate reply on behalf of the DFO, Gautam Budh Nagar has been filed which does not disclose any material facts relating to the efforts by the Authorities to trace out and take action against those involved in the illegal felling of trees. It only discloses the lapse on the part of the 2 security guards in protecting the sealed gate of M/s Shakuntalam Landcraft Private Limited. It does not even disclose the action against the guards who had committed the lapse. The above reports submitted by Respondent No. 1, 2 and 4 and also by the DFO,

Gautam Budh Nagar reveal unsatisfactory efforts in the matter which involves the felling of such a large number of trees. Hence, we required the Respondent No. 2-Principal Chief Conservator of Forest to look into the matter personally and appear virtually before the Tribunal on the next date of hearing to appraise us about the legal status of cutting of tees and the action that has been taken.

Original Application No. 896/2024

7. This OA involves the same issue that is involved in OA No. 820/2024. Though notices were issued, no affidavit of service has been filed. Ld counsel for the applicant seeks one week's time to file the affidavit of service.

8. Learned Counsel for the MoEF&CC seeks four weeks' time to file the reply by way of affidavit.

9. List on 13.05.2025.

NOTARY ★ GOVT. OF UP INDIA
Suresh Kumar Adv. & Notary Distt. Lucknow No. 31 (89) 09

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 03, 2025
Original Application No. 820/2024
Original Application No. 896/2024
A..

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 820/2024

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

ANNEXURE NO. 2

Annexure-2

महत्वपूर्ण कोर्ट केस/ई-मेल/नियत तिथि 13.05.2025

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक–को0के0 3194/6ई–2 (एन0जी0टी0), दिनांक, लखनऊ, मई, 06, 2025.

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण PRIORITY

सेवा में,

श्री एन0के0 जानू,
मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–820/2024 News Item titled"" 22 साल से बंद कम्पनी में काट दिये 1 हजार से ज्यादा पेड़, नोएडा में वन विभाग ने जब्त कियेा कटे पेड़ों से भरा ट्रक"appearing in Navbharat Times dated 11.06.2024 के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– 1. मा0 एन0जी0टी0 का आदेश दिनांक 03.02.2025.
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा का पत्रांक 4828/35–1 दिनांक 05.05.2025

महोदय,

विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–820/2024 News Item titled"" 22 साल से बंद कम्पनी में काट दिये 1 हजार से ज्यादा पेड़, नोएडा में वन विभाग ने जब्त कियेा कटे पेड़ों से भरा ट्रक" appearing in Navbharat Times dated 11.06.2024" का स्वतः संज्ञान लेते हुए ओ0ए0 संख्या–820/2024 मा0 एन0जी0टी0 ने दायर किया जिसमें मा0 एन0जी0टी द्वारा दिनांक 14.10.2024 को विस्तृत वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश पारित किये इसके कम में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र L-1337/UP/2024/269 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा अपर सचिव वन एवं वन जन्तु विभाग को सम्बोधित तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा को पृष्ठांकित करते हुए पत्र प्रेषित किया जिसके कम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक को0के0 1822/6ई–2 (एन0जी0टी0) दिनांक 04.12.2024 के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ (पर्यवेक्षीणीय अधिकारी), वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, उ0प्र0, मेरठ (नोडल अधिकारी) एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा को समस्त अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित कर निर्देश जारी करते हुए सूचित किया गया कि वाद की अगली तिथि सुनवाई हेतु दिनांक 03.02.2025 को नियत है। दिनांक 03.02.2025 को मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई करते हुए पारित आदेश के पैरा–6 का प्रभावी अंश निम्नवत् है–

"......Hence, we required the Respondent No. 2-Principal Chief Conservator of Forest to look into the matter personally and appear virtually before the Tribunal on the next date of hearing to appraise us about the legal status of cutting of tees and the action that has been taken."

2. मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 03.02.2025 के अनुपालन में आपके व आपके अधीनस्थों के द्वारा समय से कार्यवाही नहीं की गयी। बल्कि प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा का उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.05.2025, जो वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, मेरठ को सम्बोधित है, के द्वारा ओ0ए0 संख्या–820/2024 की स्टेट्स रिपोर्ट परीक्षण हेतु प्रेषित की गयी है। उक्त ओ0ए0 संख्या–820/2024 में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 03.02.2025 मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ0प्र0, लखनऊ को ईमेल के माध्यम से दिनांक 05.05.2025 को सायं 06:51 बजे 03 माह के विलम्ब से प्रेषित किया गया है जबकि उक्त वाद में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को वाद में दिनांक 13.05.2025 को सुनवाई के समय वी0सी0 के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश पारित किये गये है। इस कार्यालय को विलम्ब से सूचना प्रेषित किये जाने के कारण विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रकरण की सम्पूर्ण जांच कर वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, उ0प्र0, मेरठ व प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 08.05.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों सहित एवं जांच आख्या प्रस्तुत करें। यदि वाद में कोई विषम स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या– 3194 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, उ0प्र0, मेरठ (नोडल अधिकारी) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्पूर्ण अभिलेखों सहित दिनांक 08.05.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, नोएडा के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ अपना तथा प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, नोएडा का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, नोएडा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 820/2024

NOTARY
Suresh Kumar
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
Reg. No 31 (89) 09
GOVT. OF U.P. INDIA

ANNEXURE NO. 3

Email 9.5.25

Annexure - 3

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उत्तर प्रदेश, मेरठ।

पत्रांक–1786 / 35–3 दिनांक, मेरठ, मई, 08, 2025

कार्यालय
पी०सी०सी०एफ०, वन संरक्षण एवं वन प्रबन्धन (कोर्ट केस)
पंजि० नं० 2562
शाखा CONGT
दिनांक 09-05-2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–820 / 2024 **"News Item titled" 22 साल से बन्द कम्पनी में काट दिये गये 1000 से अधिक पेड़, नोएडा में वन विभाग ने जब्त किया कटे से भरा ट्रक" appearing in Navbhart Times Dated 11.06.2024 के सम्बन्ध में।**

CONGT
DFO(C)/AFC(C)
09-5-25

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–को0 के0–3194 / 6ई–2 दिनांक 06.05.2025 व वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ क्षेत्र, मेरठ का पत्रांक–3379 / 35–3 दिनांक 08.05.2025।

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31(89)
GOVT. OF UP INDIA

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक–1766 / 35–3 दिनांक 07.05.2025 से वन संरक्षक, मेरठ को लिखते हुये प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही व अद्यतन स्थिति का परीक्षण कर आख्या उपलबध कराये जाने के निर्देश दिये गये। वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ द्वारा अपने संदर्भित पत्र से प्रस्तुत आख्या परीक्षणोंपरान्त मय संलग्नकों के आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0के0 जानू)
मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ।

पत्रांक–1786 / दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त कम में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त कम में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ क्षेत्र, मेरठ को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– प्रभागीय, वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, नोएडा को उक्त कम में सूचनार्थ व समयान्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ प्रेषित।

(एन0के0 जानू)
मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

Facts & Finding Report

of

Chief Conservator of Forests, Western Zone, Meerut

In pursuance of

Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, U.P. Lucknow

vide letter no. KoKe-3194/6E-2 (NGT) dated 06.05.2025

TABLE OF CONTENTS

S. No.		CONTENTS	Pg. No.
1.		FACTS AND BACKGROUND	**2-3**
2.		DETAILS OF FELLED TREES	**4**
3.		ACTION TAKEN BY GAUTAMBUDDH NAGAR FOREST DIVISION-	**4**
	(i)	REGISTRATION OF FOREST OFFENCES	**4**
	(ii)	IDENTIFICATION OF OFFENDERS	**5**
	(iii)	SEALING OF MAIN GATE OF THE COMPANY PREMISES	**5-6**
	(iv)	ISSUANCE OF NOTICES	**6**
	(v)	STATEMENT OF OFFENDERS	**6-7**
	(vi)	VOLUME OF SEIZED WOOD	**7**
	(vii)	ENQUIRY REPORT	**8**
	(viii)	FILING OF COMPLAINT CASE	**8**
	(ix)	ADDITIONAL FACTS AND ACTION TAKEN	**9-10**

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
OF UP INDIA

ACTION TAKEN & FACTUAL REPORT
In pursuance with Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, U.P. Lucknow vide letter no. KoKe-3194/6E-2 (NGT) dated 06.05.2025-

1- That the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.02.2025 issued the following direction:

> *"...6. A separate reply on behalf of the DFO, Gautam Budh Nagar has been filed which does not disclose any material facts relating to the efforts by the Authorities to trace out and take action against those involved in the illegal felling of trees. It only discloses the lapse on the part of the 2 security guards in protecting the sealed gate of M/s Shakuntalam Landcraft Private Limited. It does not even disclose the action against the guards who had committed the lapse. The above reports submitted by Respondent No. 1, 2 and 4 and also by the DFO, Gautam Budh Nagar reveal unsatisfactory efforts in the matter which involves the felling of such a large number of trees. Hence, we required the Respondent No. 2-Principal Chief Conservator of Forest to look into the matter personally and appear virtually before the Tribunal on the next date of hearing to appraise us about the legal status of cutting of tees and the action that has been taken..."*

NOTARY Suresh Kumar Adv. & Notary Distt. Lucknow R. No 31 (89) 09 GOVT. OF UP INDIA

2- That in pursuance with Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, U.P. Lucknow vide letter no. KoKe-3194/6E-2(NGT) dated 06.05.2025 the factual and action taken report is as follows-

1. FACTS AND BACKGROUND

1.1 That on 10.06.2024, information was received regarding illegal tree felling within the compound of M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd., Greater Noida (formerly leased to Daewoo Company, Surajpur by UPSIDA).

1.2 The Range Forest Officer, Dadri, Gautambuddh Nagar, along with other forest officials, promptly visited the site of the offence on 10.06.2024 itself, to conduct a field investigation/enquiry into the information received by the Forest Department. Thereafter, the information regarding the illicit tree felling activity was confirmed. At the above-mentioned site, one Eicher 409 Vehicle No. UP 14 HT 0303 and one tractor trolley without number plate, were found, laden with wood weighing approximately 60 quintals. The vehicles along with the wood were duly seized by the forest officials.

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

1.3 While the seized wood is still under the custody of the Forest Department, the vehicles were released, after the deposit of a surety worth Rs. Thirteen Lakhs in the Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Gautambuddh Nagar, in compliance with its order dated 02.12.2024. The photographs of the site and seized wood **(Annexure No.-1)** and a copy of order dated 02.12.2024 **(Annexure No.-2)** are attached.

1.4 That, Forest Offence Report (H-2 Case No. 16/2024-25) dated 10.06.2025 **(Annexure No.-3)** was registered against two persons viz., Waseem Khan and Mujahid Khan, under Section-4 and 10 of the "UP Tree Protection Act, 1976" and Section-3 and 28 of the "U.P Transit of Wood and other Forest Produce Rules, 1978."

1.5 That, Range Forest Officer, Dadri, Gautambuddh Nagar was appointed as Enquiry Officer in H-2 Case No. 16/2024-25 on Divisional forest officer letter no 7133/2-1 dated 11-06-2024. **(Annexure No.-4)**

1.6 That, for enumeration of the illegally felled trees, a combing committee was formed vide letter dated 18.06.2024 **(Annexure No.-5)** by the Range Forest Officer, Dadri, Gautambuddh Nagar.

NOTARY GOVT. OF UP INDIA

1.7 That, during the enquiry into the first offence, another complaint was received on 25.06.2024 about further illegal tree felling in the same compound. Forest Offence Report (H-2 Case No. 21/2024-25) dated 25.06.2024 **(Annexure No.-6)** was registered under Section 4, 10 and 11 of the UP Tree Protection Act, 1976.

1.8 That, Range Forest Officer, Dadri, Gautambuddh Nagar was appointed as Enquiry Officer in H-2 Case No. 21/2024-25 on Divisional forest officer letter no 7365/2-1 dated 26-06-2024. **(Annexure No.-7)**

1.9 That, for enumeration of the illegally felled trees, Combing Committee was again formed vide letter dated 29.06.2024 **(Annexure No.-8)** by the Range Forest Officer, Dadri, Gautambuddh Nagar w.r.f to case no 21/2024-25.

1.10 The above-mentioned Combing Committee submitted its combined Final Report dated 09.07.2024 **(Annexure No.-9)** confirming the illegal felling of 980 trees, comprising of 02 Eucalyptus, 03 Neem and 975 Subabool trees.

1.11 The illegally felled 980 trees are of only three species namely Subabool, Eucalyptus and Neem. Out of these, Neem (3 in nos.) is the only species which is prohibited as per the Government Notification dated 07.01.2020 (**Annexure No.-10).**

2. DETAILS OF FELLED TREES

S. No.	Species	Girth Class of Stumps of Felled Trees	No. of Trees	Remarks
1.	Subabool	0-1 (0.00 -31.42 cm)	184	**Exempted** species under UP Tree Protection Act, 1976 (as amended)
2.	Subabool	1-2 (31.43-62.85 cm)	358	
3.	Subabool	2-3 (62.86-94.28 cm)	262	
4.	Subabool	3-4 (94.29-125.71 cm)	138	
5.	Subabool	4-5 (125.72-157.14 cm)	33	
6.	Eucalyptus	20-25 (62.73-78.44 cm)	2	
7.	Neem	2-3 (62.86-94.28cm)	3	Prohibited Species

NOTARY Suresh Kumar ... Distt. ... No 31 (89) ... GOVT. OF UP INDIA

3. ACTION TAKEN BY GAUTAMBUDDH NAGAR FOREST DIVISION-

3.1 REGISTRATION OF FOREST OFFENCES

(i) Forest Offence Report (H-2 Case No. 16/2024-25) was registered on 10.06.2024 against Waseem Khan and Mujahid Khan under Sections 4 and 10 of the U.P. Tree Protection Act, 1976 and Sections 3 and 28 of the U.P. Transit of Timber and Other Forest Produce Rules, 1978.

(ii) Forest Offence Report (H-2 Case No. 21/2024-25) was registered on 25.06.2024 against M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd. under Sections 4, 10 and 11 of the U.P. Tree Protection Act, 1976.

3.2 **IDENTIFICATION OF OFFENDERS**

A- Based on the investigation/enquiry in case no 16/2024-25 the following persons/entities were identified for violation of Section-4, 10 & 11 of UP Tree Protection Act, 1976 (as amended) and Sections 3 & 28 of the U.P. Transit of Timber and Other Forest Produce Rules, 1978.

i. M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd., New Delhi
ii. Yash Gupta, Director, Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.
iii. Pallavi Gupta, Director, Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.
iv. Ashish Gupta, Director, Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.
v. Deepak Gupta, Authorized Signatory, Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.
vi. Waseem Khan
vii. Mujahid Khan

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

B- Based on the investigation/enquiry in case no 21/2024-25 the following persons/entities were identified for violation of Section-4, 10 & 11 of UP Tree Protection Act, 1976 (as amended).

i. M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd., New Delhi
ii. Yash Gupta, Director, Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.
iii. Pallavi Gupta, Director, Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.
iv. Ashish Gupta, Director, Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.
v. Deepak Gupta, Authorized Signatory, Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.

3.3 SEALING OF MAIN GATE OF THE COMPANY PREMISES

(i) That due to repeated occurrence of illicit tree felling at the premises of M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd. (previously leased to Daewoo Company, Surajpur, Greater Noida),

Divisional Forest Officer, Gautambuddh Nagar, Noida, after getting the approval from the District Magistrate, Gautambuddh Nagar, directed the Range Forest Officer, Dadri vide his letter dated 09.07.2024 **(Annexure No.-11)** to seal the main gate (gate no.1) of the Company premises. The gate no. 1 of the Company premises was sealed on 09.07.2024 by the Range Forest Officer, Dadri in presence of Officials from UPSIDA, Revenue and Police Departments of Gautambuddh Nagar.

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

(ii) That, the sealed gate (Gate No. 1) at M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd. Gautambuddh Nagar was stolen. Consequently, an F.I.R. no. 0392 dated 21.10.2024 **(Annexure No.-12)** was registered by Police Department on the request of UPSIDA and Forest Department.

3.4 ISSUANCE OF NOTICES

A number of notices (combined as **Annexure No.-13)** have been issued to all the above-mentioned offenders and concerned individuals/entities under relevant forest laws and rules from time to time (between June 2024 to March 2025).

3.5 STATEMENT OF OFFENDERS

(i) Both Waseem Khan and Mujahid Khan, during the enquiry, admitted to transportation of illegally felled wood, without permission from the Forest Department.

(ii) It was also admitted and affirmed by the above-mentioned offenders that the felling was done at the behest of M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.

(iii) M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd. in its written response dated 19.02.2025 (**Annexure No.-14**), denied any responsibility for illegal felling of trees.

3.6 VOLUME OF SEIZED WOOD

The illegally felled wood found on site was seized immediately and at present, in the custody of the Forest Department at the Surajpur Nursery. The volume of seized wood was calculated to **a total of 52.359 CUM (approximately).**

Volume of Total Wood/Seized Wood

S. No.	Species of Tree	Stump Girth Class (cm)	Approx. Girth Class at Breast Height (cm)	No. of illegally Felled Trees	Estimated Volume of Wood (Cubic Meters - CUM)	Seized Volume of Wood (Cubic Meters - CUM)	Remarks
1	Subabool	0–10	0–10	184	0.000	52.060	**Exempted** species under UP Tree Protection Act, 1976 (as amended)
2	Subabool	10–20	0–10	358	0.000		
3	Subabool	20–30	10–20	262	0.000		
4	Subabool	30–40	20–30	138	35.190		
5	Subabool	40–50	30–40	33	19.635		
6	Eucalyptus	20–25	15–20	2	0.252	0.251	
7	Neem	20–30	10–20	3	0.048	0.048	Prohibited Species
Total				**980**	**55.135 CUM**	**52.359 CUM**	

100% volume of wood prohibited species and about 95 % volume of wood from exempted species is still under custody of Forest Department.

3.7 ENQUIRY REPORT

(i) The Range Forest Officer, Dadri (Enquiry Officer) conducted the enquiry and concluded that M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd. was involved in the illegal felling of 980 trees.

(ii) It was also concluded that Waseem Khan and Mujahid Khan were only working on the orders of the M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.

3.8 FILING OF COMPLAINT CASE

(i)Criminal complaints, having case no.(s) 2274/2025 and 2276/2024 under Section-223 of the BNSS dated 24.03.2025 have been filed before the Hon'ble Additional Chief Judicial Magistrate-I (ACJM-I), Gautambuddh Nagar against (i) M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd., (ii) Yash Gupta, (Director); (iii) Pallavi Gupta, (Director); (iv) Ashish Gupta, (Director); (v) Deepak Gupta, Authorised Signatory of M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd., (vi) Waseem Khan and (vii) Mujahid Khan seeking the strictest punishment for the offences made by them.

(ii) It is pertinent to mention that on 24.03.2025, notice has been issued in the aforementioned complaints (CNR Nos. UPGB040186652025 and UPGB040186622025) filed before the Hon'ble ACJM-I, Gautambuddh Nagar. Furthermore, the complainant and the accused have been summoned to be examined under oath by the Magistrate at the next date of hearing. The notices issued by the Hon'ble ACJM Court and Status Report (**Annexure No.-15**) of the cases are attached.

NOTARY GOVT. OF UP INDIA Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow No 31 (89) 09

(iii)The cases are next listed for hearing in the court of the Hon'ble ACJM **on 18.05.2025.**

3.9 ADDITIONAL FACTS AND ACTION TAKEN

1- It is worthwhile to mention that the aforesaid site was initially leased to Daewoo Company, Surajpur vide lease deed dated 18.11.1987, which was subsequently obtained by M/s Shakuntalam Land Craft Pvt. Ltd.

Subsequently UPSIDA vide its Letter No. UPSIDA/1236 dated 07.08.2024 (**Annexure No.-16) has cancelled the lease deed dated 18.11.1987 and has obtained the physical possession of the leased land in question.**

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

2- A letter dated 18.06.2024 (**Annexure No.-17**) to Deputy Commissioner of Police, Gautambuddh Nagar was sent by DFO, Gautambuddh Nagar for directing the concern SHO to necessary action on request of DMIL Employee Union (Regd.)

3- A letter dated 10.07.2024 (**Annexure No.-18**) to Regional Manager UPSIDA, Greater Noida was sent by DFO, Gautambuddh Nagar for providing the details of action taken by them in this matter of illicit felling of trees on the UPSIDA land.

4- A letter dated 27.07.2024 (**Annexure No.-19**) to Regional Officer UP Pollution Control Board, Greater Noida was sent by DFO, Gautambuddh Nagar for providing the information regarding action taken by UPPCB under Environment Protection Act-1986. A reminder dated 06.05.2025 (**Annexure No.-20**) for the same was sent.

5-Site inspection was done by the DFO, Gautambuddh Nagar and enquiry was made. Furthermore, a letter dated 11.02.2025 was sent to the UPSIDA by the DFO regarding the security of the area so that no further illegal felling occurs in the future. (**Annexure No.-21)**

(N. K. Janoo)
Chief Conservator of Forests,
Western Zone, Meerut

NOTARY
Dstt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

ANNEXURE-1

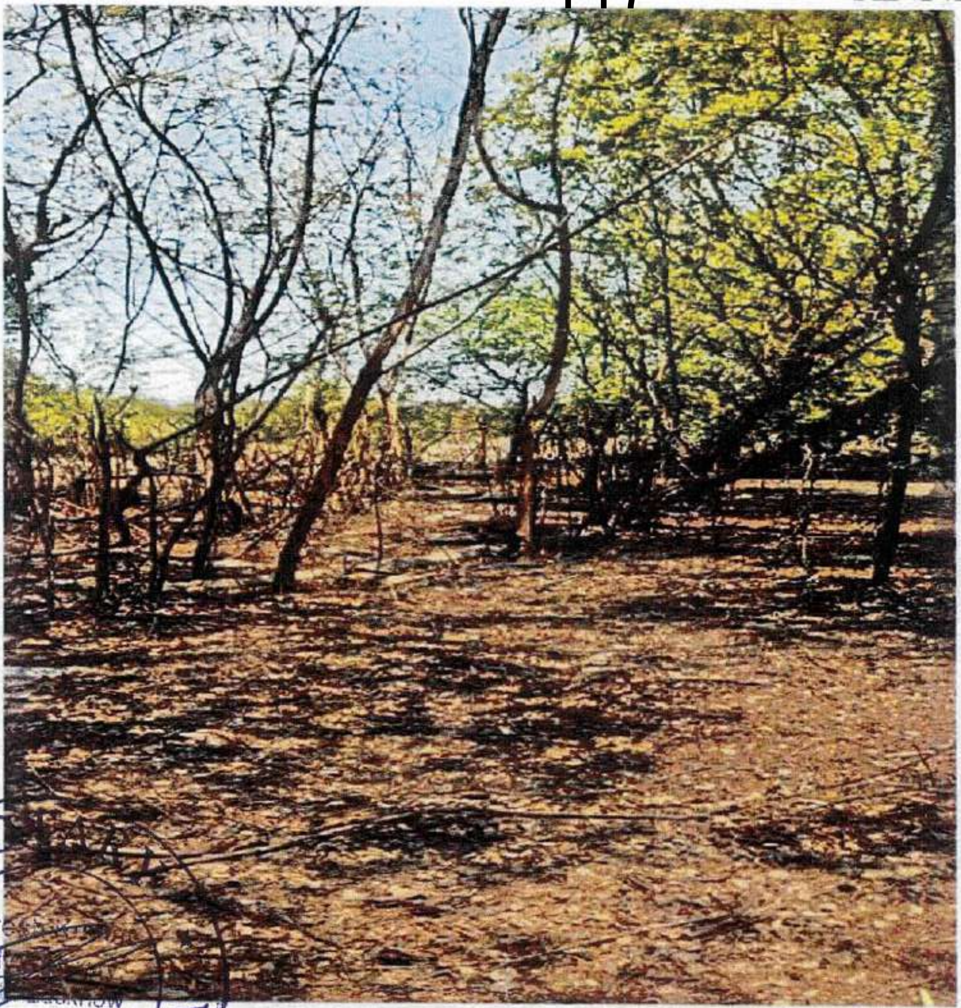

NOTARY
Suresh ...
Adv...
Distt. Lucknow
No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

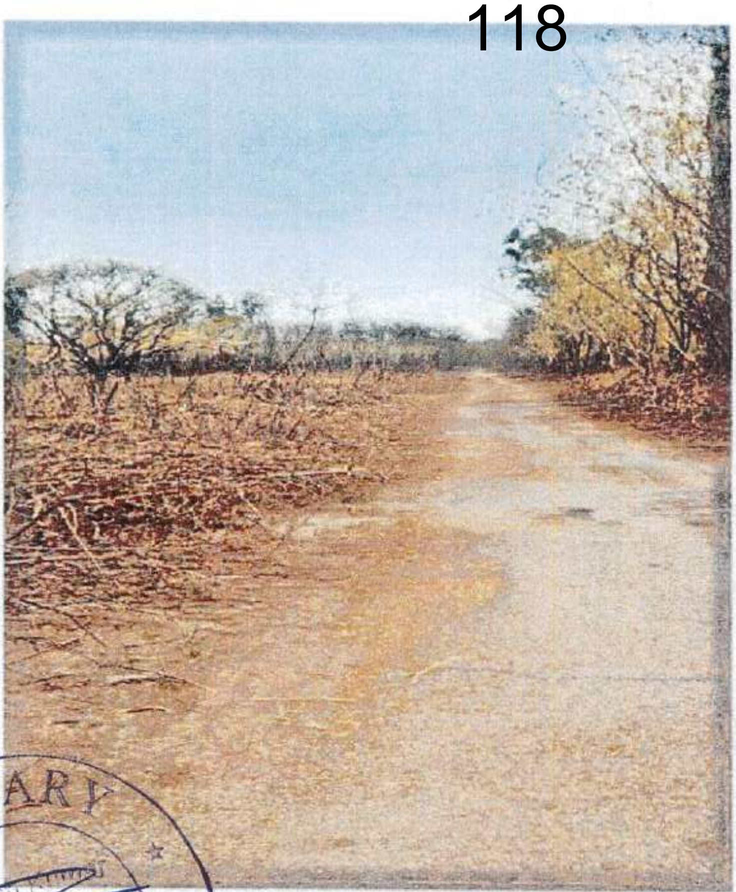

NOTARY
Distt. Lucknow
GOVT. O

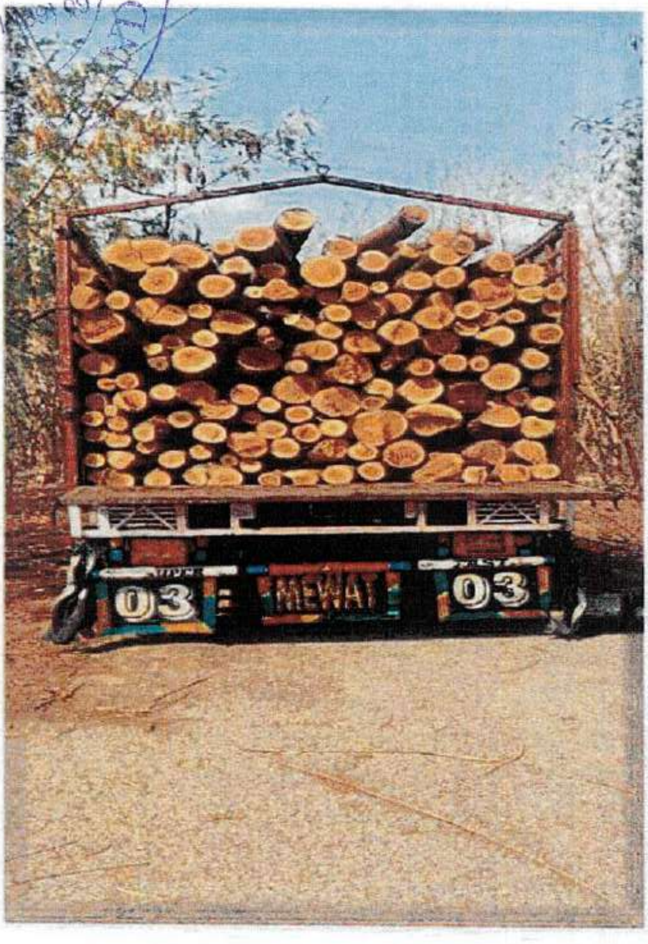

GOVT OF U.P. INDIA

NOTARY
GOVT. OF U.P. INDIA

NOTARY
Suresh Kumar
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
GOVT. OF U.P. INDIA

NOTARY
GOVT OF U.P. INDIA

NOTARY
GOVT. OF U.P. INDIA

NOTARY
GOVT OF U.P. INDIA

 आदेश **ANNEXURE-2**

02.12.2024

प्रार्थी वसीम खान की ओर से धारा 4/10 संरक्षण अधिनियम 1976 एवं 3/28 उत्तर प्रदेश अभिवहन नियमावली 1978, थाना सूरजपुर/वन विभाग गौतमबुद्धनगर मे वाहन सं0 यू0पी.14एच.टी.0303 को अपनी सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे उक्त वाहन की आर.सी. एवं इंश्योरेंस प्रस्तुत किये गये है तथा फोटो प्रति संलग्न है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त वाहन के वन प्रभाग, सूरजपुर पौधशाला मे खड़े रहने से खराब होने का अंदेशा है।

मामले में क्षेत्रीय वनाधिकारी, दादरी, रेंज की आख्या प्राप्त हुई है कि हेतू कम्पनी ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर में वृक्षों के अवैध कटान के सम्बन्ध में वाहन स्वामी वसीम खान पुत्र रउफ खान का ट्रेक्टर-ट्रौली आईसर प्रा0 3016 रजिस्ट्रेशन संख्या-यू.पी.14एच.टी. 0303 मौके पर पेड़ों से लदा खड़ा पाया गया, जिसकी पातन अनुज्ञा उनके पास नहीं थी। उक्त वाहन वन प्रभाग की सूरजपुर पौधशाला में खड़ा किया गया है।

अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया।

सुना एवं अवलोकन किया।

प्रार्थी की ओर से समर्थन में उक्त वाहन की आर.सी. एवं इंश्योरेंस प्रस्तुत किये गये है जिसमें उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी होना अभिलिखित है। अन्य कोई क्लेमेंट उपस्थित नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, एआईआर 2003, सुप्रीम कोर्ट 638 में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की सुपुर्दगी में उक्त वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली निम्नलिखित शर्तों पर सुपुर्द किया जाता है:–

1. आवेदक मुबलिग तेरह लाख रूपये का एक प्रतिभू व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।
2. एक अण्डर टेंकिग इस बात की देगा कि प्रार्थी ना फैसला उक्त वाहन को बेचेगा नहीं और ना ही उसके स्वरूप में परिवर्तन करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपने हर्जे खर्चे पर प्रस्तुत करेगा।
3. मूल कागजात आर.सी. एवं इंश्यारेंस की दो-दो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हो।
4. प्रार्थी वाहन उपरोक्त का पुनः उक्त प्रकार के अपराध में प्रयोग नही करेगा एवं यदि करेगा तो उसके वाहन को पुनः जब्त किया जायेगा।

5– क्षेत्रीय वनाधिकारी, दादरी उक्त वाहन के स्वामित्व के बिन्दु पर संतुष्ट होने के पश्चात ही वाहन अवमुक्त करेंगे।

यदि उक्त वाहन किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो प्रार्थी की सुपुर्दगी में केवल ट्रेक्टर मय ट्रोली दिया जाये वाहन में लदे पेड़ों को प्रार्थी की सुपुर्दगी में न दिया जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।

Copy forwarded to S.O. M.S. Surajpur ... for Compliance. Sd
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर
02-12-2024

NOTARY
Suresh Kumar
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
Regd. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

बुक नं० 600

16/2024-25

30
वन आकार पत्र सं० एच-2

ANNEXURE-3

वन विभाग उत्तर प्रदेश परिधि (सर्किल) मेरठ खण्ड (डिवीजन) गौतमबुद्ध नगर।

अपराध वृक्ष संरक्षण अधि० 1976 की धारा 4/10 व उ०प्र० अधि० नियमावली 1978 की धारा 3/28 प्रसूचना (रिपोर्ट सं0 ——— दिनांक 10/6/2024 अधिक्षेत्र (रेन्ज) दादरी

1. नाम पिता का नाम और निवास स्थान 1. वसीम खान पु० रऊफ खान नि० धावनखेड़ी जिला अमरोहा

2. साक्षी का नाम श्री राहुल भारद्वाज व०र० 2. मुजाहिद खान पु० अबरार खान नि० धावनखेड़ी जिला- अमरोहा

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 10/6/2024 को Daewoo कम्पनी सूरजपुर में 3 नीम 2 यूके० व 17 सुबबूल के वृक्षों का कटान

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन विभागीय कार्यवाही

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख आज दिनांक 10/6/2024 को समय करीब 4 बजे शिकायत के आधार पर मैं अपने हमराह श्री राहुल भारद्वाज वन रक्षक के साथ Daewoo कम्पनी सामाहा कम्पनी सूरजपुर ग्रे०नोएडा पहुँचा तो देखा कि उक्त कम्पनी में नीम यूके० व सुबबूल के पेड़ों को काटकर एक आयशर 409 गाड़ी नं० UP14HT 0303 में लोड कर ले जा रहे थे मौके पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली (बिना नम्बर) भी मिला, उक्त पेड़ों को काटने की परमिशन मांगी गयी उनके पास कोई परमिशन नहीं थी उपरोक्त आयशर 409 गाड़ी व ट्रैक्टर-टाली को अपनी अभिरक्षा में सूरजपुर पौधशाला पर खड़ा कर दिया है। आयशर 409 गाड़ी में लगभग 60 कुन्तल लकड़ी लदी हुयी है, मौके पर अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर बयान दिया एवं मेरे द्वारा फर्द-बरामदगी बनायी गयी। उक्त अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 व उ०प्र० अधि० नियमावली 1978 की धारा 3/28 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रथम प्रसूचना रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित है।

मनदीप

(रामअवतार)
व०र०

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी गौतमबुद्ध नगर
पत्रांक 1002/25-1 दिनांक 10/6/2024
प्र० वन्य० महोदय गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी रेंज
गौतमबुद्धनगर

NOTARY GOVT. OF INDIA

ANNEXURE-4

1400 र्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर
पत्रॉक 7133 /2-1 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 11-06- 2024।

आदेश

दादरी रेंज के अन्तर्गत दिनांक 10–06–2024 को डेवू मोटर्स इण्डिया लि0 कम्पनी परिसर में बिना अनुमति के वृक्ष पातन किये जाने पर कार्यवाही करते हुए वन प्रसूचना संख्या 16/2024–25 दिनांक 10–06–2024 निर्गत किया गया।

उक्त वन अपराध केस की जॉच हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को पदेन जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जॉच अधिकारी फोरेस्ट मैनुअल के नियम 273(सी) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जॉच पूर्ण कर जॉच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

संलग्नक–प्रपत्र–2 केस की प्रति।

NOTARY GOVT. OF UP INDIA

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

ANNEXURE-5

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी ई–1 सैक्टर–1 नौएडा

पत्रांक 1012 ए–1/22–1 दादरी, दिनांक 18.06.2024

सेवा में

1– श्री अमित कुमार आनन्द
वन दरोगा

2– श्री साजिद अली
वन रक्षक

3– श्री राहुल भारद्वाज
वन रक्षक

विषय: एच–2 केस संख्या 16/2024–25 दिनांक 10.06.2024 को शकुन्तलम लैण्डकाफ्ट प्रा०लि० द्वारा अधिग्रहित डेवू कम्पनी सूरजपूर ग्रेटर नोएडा में अवैध रुप से काटे गये वृक्षों/वृक्षों के ठूंठों की गणना करने के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एच–2 केस संख्या 16/2024–25 दिनांक 10.06.2024 को शकुन्तलम लैण्डकाफ्ट प्रा०लि० द्वारा अधिग्रहित डेवू कम्पनी सूरजपूर ग्रेटर नोएडा में अवैध रुप से काटे गये वृक्षों/वृक्षों के ठूंठों की गणना कर गणना रिपोर्ट यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कारना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

NOTARY ★ Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow No 31 (89) 09 ★ GOVT. OF UP INDIA

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: श्री राम अवतार वन दरोगा को इस निर्देष के साथ प्रेषित कि आप एच–2 केस संख्या 16/2024–25 दिनांक 10.06.2024 को शकुन्तलम लैण्डकाफ्ट प्रा०लि० द्वारा अधिग्रहित डेवू कम्पनी सूरजपूर ग्रेटर नोएडा में अवैध रुप से काटे गये वृक्षों/वृक्षों के ठूंठों की गणना कराने में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हुये सहयोग करना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

a/c

31/2024-25

वन आकार पत्र सं0 एच–2

वन विभाग उत्तर प्रदेश परिधि (सर्किल) मेरठ खण्ड (डिवीजन) गौतमबुद्ध नगर।

वृक्ष संरक्षण अधि० वन अपराध 1976 की धारा 4/10, 11 प्रसूचना (रिपोर्ट सं0 ——— दिनांक 25/6/2024 अधिक्षेत्र (रेन्ज) दादरी

1. नाम पिता का नाम और निवास स्थान । शकुन्तलम लैण्ड क्राफ्ट प्रा० लि० सूरजपुर ग्रेटर नौएडा

2. साक्षी का नाम श्री राहुल भारद्वाज व० र०

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक डेवू कम्पनी में पेडों का अवैध कटान

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन विभागीय कार्यवाही

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख महोदय,

आज दिनांक 25/6/2024 को सूचना प्राप्त हुयी कि डेवू कम्पनी निकट यामाहा मोटर्स सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में अवैध वृक्षो का कटान हो रहा है प्राप्त सूचना के आधार पर मैं अपने हमराह श्री राहुल भारद्वाज व० र० के मौके पर पहुंचा तो देखा कि वहां 20 से 30 पेड सूबबूल के कटे पाये गये, समस्त प्रकाष्ठ मौके पर पड़ा था पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त पेड कालम नं० 1 में दर्ज अभियुक्त द्वारा काटे गये है। उक्त कृत्य वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10, 11 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा मे सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय
(signature)
राम अवतार
व० र०

(signature)

केस की 1 छायाप्रति प्र० वनाधि० को सूचनार्थ प्रेषित है।

NOTARY Suresh Kumar Adv. & Notary Distt. ... No 5 ... GOVT. OF UP INDIA

ANNEXURE-7

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 7365 /2-1 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 26-06- 2024।

आदेश

दादरी रेंज के अन्तर्गत दिनांक 25–06–2024 को डेवू मोटर्स इण्डिया लि0 कम्पनी परिसर में बिना अनुमति के वृक्ष पातन किये जाने पर कार्यवाही करते हुए वन प्रसूचना संख्या 21/2024–25 दिनांक 25–06–2024 निर्गत किया गया।

उक्त वन अपराध केस की जॉच हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को पदेन जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जॉच अधिकारी फोरेस्ट मैनुअल के नियम 273(सी) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जॉच पूर्ण कर जॉच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक प्रपत्र–2 केस की प्रति।

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

NOTARY GOVT. OF UP INDIA

ANNEXURE-8

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी ई–1 सैक्टर–1 नौएडा

पत्रांक 1029/22–1 दादरी, दिनांक 29.06.2024

सेवा में

1– श्री अमित कुमार आनन्द
वन दरोगा

2– श्री साजिद अली
वन रक्षक

3– श्री राहुल भारद्वाज
वन रक्षक

विषयः एच–2 केस संख्या 21/2024–25 दिनांक 25.06.2024 को शकुन्तलम लैण्डकाफ्ट प्रा0लि0 द्वारा अधिग्रहित डेवू कम्पनी सूरजपूर ग्रेटर नोएडा में अवैध रुप से काटे गये वृक्षों/वृक्षों के ठूंठों की गणना करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एच–2 केस संख्या 21/2024–25 दिनांक 25.06.2024 को शकुन्तलम लैण्डकाफ्ट प्रा0लि0 द्वारा अधिग्रहित डेवू कम्पनी सूरजपूर ग्रेटर नोएडा में अवैध रुप से काटे गये वृक्षों/वृक्षों के ठूंठों की गणना कर गणना रिपोर्ट यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कारना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Aamir

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
Regd. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपिः प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः श्री राम अवतार वन दरोगा को इस निर्देष के साथ प्रेषित कि आप एच–2 केस संख्या 21/2024–25 दिनांक 25.06.2024 को शकुन्तलम लैण्डकाफ्ट प्रा0लि0 द्वारा अधिग्रहित डेवू कम्पनी सूरजपूर ग्रेटर नोएडा में अवैध रुप से काटे गये वृक्षों/वृक्षों के ठूंठों की गणना कराने में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हुये सहयोग करना सुनिश्चित करें।

Aamir.

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

ANNEXURE 9

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी रेंज, [illegible]
पत्रांक 21/2–1 दादरी दिनांक 09.07.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

विषयः शकुन्तलम लेण्डक्राफ्ट प्रा0 लि0 द्वारा अधिग्रहित डेबू कम्पनी, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में हुये वृक्षों के अवैध कटान में जारी एच–2 केस संख्या 16/2024–25 एवं एच–2 केस संख्या 21/2024–25 की जांच में पाये गये वृक्षों के ठूंठों की गणना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः इस कार्यालय का पत्रांक 1012ए/22–1 दिनांक 18.06.2024 एवं 1029/22–1 दिनांक 29.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में अवगत कराना है कि उपरोक्त जारी एच–2 केसों में अवैध रूप से कटे वृक्षों के ठूंठों की गणना हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा की गयी ठूंठों की गणना निम्न प्रकार है–

क.सं.	प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों के ठूंठों की संख्या
1	सूबबूल	0–1	184
2	सूबबूल	1–2	358
3	सूबबूल	2–3	262
4	सूबबूल	3–4	138
5	सूबबूल	4–5	33
6	नीम	2–3	03
7	यूकेलिप्टिस	20–25	02
		योग	980

अतः वृक्षों के ठूंठों की गणना रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

NOTARY INDIA

ANNEXURE-10

क्रम-संख्या—3

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू0 / एन0पी0—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार 7 जनवरी, 2020

पौष 17, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—5

संख्या 24 / 81-5—2020-07-93

लखनऊ, 7 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प0आ0—2

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा 21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2270 / 14-5—2017-07-93, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निपातित किये जाने का प्रतिषेध करती हैं :—

(1) आम (देशी / तुकमी), (2) नीम, (3) साल, (4) महुआ, (5) बीजासाल, (6) पीपल, (7) बरगद, (8) गूलर, (9) पाकड़, (10) अर्जुन, (11) पलाश, (12) बेल, (13) चिरौंजी, (14) खिरनी, (15) कैथा, (16) इमली, (17) जामुन, (18) असना, (19) कुसुम, (20) रीठा, (21) भिलावा, (22) तून, (23) सलई, (24) हल्दू, (25) बाकली / करधई, (26) धौ, (27) खैर, (28) शीशम एवं (29) सागौन और व्यक्तिगत कृषित या अकृषित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों को छूट प्रदान करती हैं।

2—प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा— वृक्ष सूख गया हो या सूख रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे। समुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, जैसा और जब अपेक्षित हो, समय—समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।

NOTARY
Suresh Kumar
Distt. Lucknow
No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

3–निपातित किये जाने वाले वृक्षों और (निपातित किये गये वृक्षों के बदले में) रोपित किये जाने वाले प्रतिपूरक पौधों का अक्षांश एवं देशान्तर सक्षम अधिकारी से निपातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र में उल्लिखित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् ऑनलाइन अभिलिखित किया जायेगा।

4–वृक्ष स्वामी, निपातित किये गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का आरोपण एवं अनुरक्षण करेगा और वृक्ष रोपित न करने की स्थिति में 10 वृक्षों को रोपित किये जाने तथा 05 वर्ष तक उनका अनुरक्षण किये जाने की धनराशि उक्त अधिनियम, सन् 1976 की धारा 5 और 7 के अनुसार वृक्ष स्वामी द्वारा वन विभाग को जमा की जायेगी । वन विभाग इस धनराशि का उपयोग वनीकरण के प्रयोजनार्थ करेगा । इससे ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करने तथा वृक्षावरण का विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी ।

5–उत्तर प्रदेश वन निगम, वृक्ष स्वामी को उसकी कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 24/LXXXI-5–2020-07, 93, dated January 7, 2020 :

No. 24/LXXXI-5–2020-07-93
Dated Lucknow, January 7, 2020

In exercise of the powers under section 21 and 23 of the Uttar Pradesh Protections of Trees Act, 1976 (U.P. Act no. 45 of 1976) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 4 of 1904) and in supersession of the Government notification no. 2270/XIV-5–2017-07-93, dated October 31, 2017, the Governor is pleased to prohibit felling of the following trees species:-

(I) Aam (Desi/Tukmi), (II) Neem, (III) Sal, (IV) Mahua, (V) Bijasal, (VI) Pipal, (VII) Bargad, (VIII) Gular, (IX) Pakar, (X) Arjun, (XI) Palash, (XII) Bel, (XIII) Chiraunjee, (XIV) Khirnee, (XV) Kaitha, (XVI) Imli, (XVII) Jamun, (XVIII) Asna, (XIX) Kusum, (XX) Ritha, (XXI) Bhilawa, (XXII) Toon, (XXIII) Salai, (XXIV) Haldu, (XXV) Bakali/Kardhai, (XXVI) Dhau, (XXVII) Khair, (XXVIII) Sheesham and (XXIX) Sagaun and exempt other species situated on individual cultivated and un-cultivated holding.

NOTARY
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF INDIA

2. Prohibited tree species shall not be felled till dated 31[st] December, 2025 except under unavoidable circumstances such as tree is dead or dying or it constitutes danger to person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government or after attaining exploitable diameter or if the fruit bearing capacity of such tree has declined substantially and permission to fell such tree has been obtained in writing from the competent authority. For exploitable diameter, Principal Chief Conservator of Forests, Monitoring and Working Plan, Uttar Pradesh may issue guidelines from time to time, as and when required.

3. Longitude and Latitude of trees to be felled and compensatory saplings to be planted (*in lieu of* felled trees) shall be mentioned in the application from while applying for obtaining felling permission form the Competent Authority and subsequently recorded online.

4. The tree owner shall plant and maintain 10 trees in place of each tree felled and in case of not planting trees the amount of money for plantation of 10 trees and their maintenance for 5 years shall be deposited by the tree owner to the Forest Department, as per section 5 and 7 of the said Act of 1976. Forest Department will utilise this amount for afforestation purposes. This will help conserve such species and expansion of tree cover too.

5. Uttar Pradesh Forest Corporation will facilitate the tree owner for certification of standing trees on his farm land.

By order,
SUDHIR GARG,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 549 राजपत्र–(हिन्दी)–2020–(1335)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० पर्यावरण–2020–(1336)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

E-mail: ...
Ph.No. 0120-2425989

(6)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्वनगर वन प्रभाग ई–1सै0 1 नोएडा।
पत्रॉक 202 /33–3 दिनॉक गौतमबुद्वनगर 09 –07–2024।

ANNEXURE-6/

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

विषयः– डेबू कम्पनी में अवैध कटान के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि डेबू कम्पनी में विगत कुछ समय पूर्व अवैध कटान की कार्यवाही हुयी थी, जिसके कम रेंज एच–2 केस संख्या 16/24–25 दिनॉक 10–06–2024 दादरी रेंज से जारी किया गया। उक्त कटान के बाद भी निरन्तर कटान किये जाने का प्रयास करने की सूचना प्राप्त हो रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अवैध कटान की सम्भावना के दृष्टिगत तत्काल डेबू कम्पनी के वृक्षों के परिसर को सील करने की कार्यवाही पूरी औपचारिकता पूर्ण कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

NOTARY
Suresh Kumar
Adv. & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक / दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– उपजिलाधिकारी, सदर, गौतमबुद्धनगर
2:– सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
3:– रीजनल मैनेजर, यू0पी0सीडा, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक / दिनॉकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी,महोदय,गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

टीपे और आज्ञायें।

अनुरोध पूर्वक अवगत कराना है कि वर्ष 2003 से बन्द पड़ी हेवू मैटल्स इण्डिया लि० कम्पनी की भूमि पर विगत कुछ समय से कम्पनी परिसर मे स्थित वृक्षों के अवैध कटान की शिकायते प्राप्त हो रही है। एन०सी०आर० क्षेत्र मे अत्यधिक मात्रा मे प्रदूषण बना रहता है। उक्त क्रम मे इस वन प्रभाग मे तैनात क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को तत्काल स्थलीय जाँच कर विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी द्वारा विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुए वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 एवं धारा– 3/28 अभिवहन नियमावली 1978 में निहित प्राविधानो के अर्न्तगत वन अपराध संख्या 16/2024–25 दिनांक 10–06–2024 द्वारा इजरा कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी, तथा पुनः शिकायत प्राप्त होने पर दिनाँक 25–06–2024 जाँचोपरान्त वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4,10,11 के अर्न्तगत वन अपराध संख्या 21/2024–25 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पुनः अवैध पातन की शिकायते विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही है। उक्त कम्पनी परिसर में अवैध पातन की सम्भावनाओ के दृष्टिगत वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा–16 के उपबन्ध (b) का अनुपालन कराने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त कम्पनी परिसर को अग्रिम आदेशों तक सील किया जाये।

अतः महोदय से अनुरोध कि प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उक्त कम्पनी परिसर को सील करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर.

SDM

DFO

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R/No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

(24)

सील की कार्यवाही

दिनांक 09/07/24 को समय 2:40 बजे प्रभागीय वनाधिकारी औ० [illegible]
नगर के पत्र सं० 202/33-3 दिनांक 09/07/24 के क्रम में [illegible]
जिसकी GPS लोकेशन L 28°52' 44.13 N-77.46.41 है उक्त गेट
निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी के समक्ष मोहर बन्द सील किया गया है

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1. Anamika	R.F.O	(signature)
2. RAMKRISHNA	NT.	(signature)
3. पुरानन्द [illegible]	(व०र०)	(signature)
4. Abhishek Chaudhary	(Eng.)	(signature)
5. [illegible]	[illegible]	(signature)
6. [illegible]	AM UPSIDA	(signature)
7. [illegible] (व०र०)	[illegible]	(signature)
8. [illegible]		
9. [illegible]	वनदरोगा	(signature)
10. अमित कुमार आनन्द	वन दरोगा	(signature)
11. राहुल भारद्वाज	(व०र०)	(signature)
12. साजिद अली	वन र०	(signature)

मोहर

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
Regd. No-31 (89) 09
GOVT. OF U.P. INDIA

संयुक्त रिपोर्ट

(75)

आज दिनांक 09/07/24 को समय-2:40बजे प्रभागीय वनाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के पत्र संख्या 202/33-3 दिनांक 09/07/24 के क्रम मे डेबू कम्पनी को उपजिलाधिकारी सदर गौ०बु०न० सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय ग्रे० नो० UP सीडा ग्रे० नो० एवं शीजनल मैनेजर के अधिकारियों के साथ उक्त कम्पनी को सील करने के निर्देश प्राप्त हुए इसके क्रम में तत्काल रूप से क्षेत्रीय वनाधिकारी दादरी अपने वनकर्मियों के साथ गेट न०-1 डेबू कम्पनी जिसकी GPS रीडिंग La- 28.524413, LO - 77.46417 है। मौके पर पहुंचे। उक्त गेट को निम्न अधिकारी एवं कर्मचारियों के समक्ष समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुए मोहर बन्द कर गेट न०-1 को सील कर दिया गया।

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
Aamika	R.FO	Aamika
(2) RAMKRISHNA	NT	[illegible]
(3) प्रशान्त कुमार	(व०द०)	[illegible]
(4) धीरज मिश्र	A M.	[illegible]
5) Abhishek Ch.	Eng.	Abhishek
6. उपेन्द्र त्यागी (प्रतिपत्र) सह सचिव दादूराम मोटर्स लि०		उपेन्द्र [illegible]
7 [illegible] ([illegible]) [illegible]		[illegible]
8 [illegible]		[illegible]
9. [illegible]	पुलिस दरोगा	[illegible]
10 अमित कुमार	वन दरोगा	[illegible]
11 राहुल भारद्वाज	(व० र०)	Rahul
12 साजिद अली	व० र०	[illegible]
13 [illegible]	व० र०	[illegible]

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (88) 09
GOVT. OF U.P. INDIA

ANNEXURE-11

कायालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर ।
पत्रॉक 243 / 33--3 गौतमबुद्धनगर दिनॉक 09--07--2024 ।

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषय:-- डेवू मोटर्स इण्डिया लि0 कम्पनी परिसर अवैध कटान के संबंध मे।

महोदय

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि वर्ष 2003 से बन्द पडी डेवू मोटर्स इण्डिया लि0 कम्पनी की भूमि पर विगत कुछ समय से कम्पनी परिसर में स्थित वृक्षो के अवैध कटान की शिकायते प्राप्त हो रही थी। जिसके क्रम में इस वन प्रभाग मे तैनात क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को तत्काल स्थलीय जॉच कर विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी द्वारा विभागीय कार्यवाही सम्पादित करते हुए वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 / 10 में निहित प्राविधानो के अर्न्तगत वन अपराध संख्या 16 / 2024--25 दिनांक 10--06--2024 द्वारा इजरा कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा पुनः शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 25--06--2024 को जॉच उपरांत वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वन अपराध संख्या 21 / 2024--25 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही के उपरांत भी पुनः पर्यावरणविदो तथा समाचार पत्रो के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होने पर वन विभाग, राजस्व विभाग यू0पी0सीडा एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त जॉच करके रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी। कम्पनी परिसर में अवैध पातन पाया गया। अतः प्रकरण आपके अनुमोदन के उपरांत गेट नं0--1 डेवू कम्पनी जिसकी जी0पी0एस0 रिडिंग N 28.524413 E 77.46417 है, को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए मोहर बन्द कर चालू गेट नं0--1 को सील कर दिया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
GOVT. OF UP INDIA

पत्रॉक 243 / दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0 मेरठ।
2. वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

ANNEXURE-12

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF INDIA

1. District/Unit (जिला/इकाई): मध्य (कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर)
P.S. (थाना): ईकोटेक-तृतीय Year (वर्ष): 2024
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0392
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 21/10/2024 15:41

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): शनिवार Date From (दिनांक से): 21/09/2024 Date To (दिनांक तक): 21/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 21/10/2024 Time (समय): 15:41 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 061 Date & Time (दिनांक और समय): 21/10/2024 15:41 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

(202)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 03 किमी   Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): डेबू मोटर्स कम्पनी

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):   District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): महेश चन्द्र यादव   असिस्टेन्ट मैनेजर

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1974

(d) Nationality (राष्ट्रीयता):   भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	यूपीएसआईडीए ,ईकोटेक-तृतीय,मध्य (कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर),उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	यूपीएसआईडीए ,ईकोटेक-तृतीय,मध्य (कमिश्नरेट

(103) (201)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

2	स्थायी पता	गौतमबुद्धनगर),उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9205691720

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
	अज्ञात1			

NOTARY Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow No 31 (89) 09 UNION OF INDIA

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी......सेवा में, थाना प्रभारी इकोटेक-III ग्रेटर नौएडा । विषयः- डेबू मोटस कम्पनी ग्रेटर नौएडा में लगी शील मैन गेट चोरी होने के सम्बन्ध में (अज्ञात व्यक्तियो द्वारा) । महोदय, उपरोक्त विषयक में अवगत कराना है कि डेबू मोटर (शाकुन्तलम) कम्पनी ग्रेटर नौएडा वन विभाग से बिना अनुमति के कम्पनी मालिक द्वारा हरे खडे पेड काटकर ले जाते थे । इसलिए वन विभाग के अधिकारियो ने राजस्व विभाग यू0पी0 सीडा व स्थानीय पुलिस थाना इकोटेक-III गेटर नौएडा के साथ मैन गेट पर शील लगायी गयी थी । जिससे

(20)

अवागमन वन्द है । व लकडी आदि की चोरी न हो । बाद में यू0पी0 सीडा के उच्चाधिकारियो के आदेशानुसार दूसरी शील लगाकर दो गार्ड देख रेख हेतु छोडे गये । तथा डेब मोटस कम्पनी को समस्थ जिम्मेदारी U.P.SIDA के पास है । दिनांक 21/09/24 को कम्पनी के यूनियन लिडर श्री उपेन्द्र खारी ने दूरभास के द्वारा अवगत कराया कि आपके शील लगे गेट चोरी हो गये है । आपके चौकीदार व गार्ड मौके पर नही मिले है । हमारे द्वारा श्री पदम सिंह फील्ड आफिसर द्वारा (9997524754) दो गार्ड भेजे गये थे जो हमें मौके पर नही मिले तथा दिवार पर लगी जाली व शील लगे मैन गेट चोरी हुए मिले हमने मौका देखकर अपने उच्च अधिकारियो को अवगत कराया । अतः अपसे अनुरोध है कि शील लगे मैन गेट व दिवार पर लगी जालियो को चोरी होने की प्राथमिकी लिखित दर्ज कर कानूनी कार्य वाही करने की कृपा करे । लिखित रिपोट महोदय की सेवा में प्रेषित है । भदीय ह0 अंग्रेजी अपठित 22/09/2024 राम अवतार व्रन दरोगा दादरी रेंज (9654432207) भवदीय ह0 अंग्रेजी अपठित 22/09/24 (महेश चन्द्र यादव) Asstt.Manager U.P. SIDA. Mob-9205691720...... नोट--मैं का0 3446 अवधेश कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा बोल बोलकर शब्द व शब्द कम्प्यूटर पर म0का0 2497 प्रियंका से अलावा तकनीकी त्रुटि के टंकण करायी गयी ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): Udit Singh **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 192330448 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

(197)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name ANIL KUMAR PANDEY
Rank I (Inspector)
No. 982250859

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी रैंज ई–1 [illegible]

पत्रांक 1001 /28–1 दादरी दिनांक 10.06.2024

ANNEXURE-13

सेवा में,

1–शकुन्तलम लैण्ड काफ्ट प्रा0 लि0,
एच–27, डब्लू–8, ई–लेन, वेस्टर्न एवन्यू
सैनिक फार्मस, साउथ दिल्ली–110062।

2–मुहाजिद खान पुत्र अबरार खान,
निवासी गांव बावल खेड़ी।

3–वसीम खान पुत्र राऊफ खान
निवासी, गांव बावल खेड़ी, जिला– अमरोहा।

विषय: दादरी वन अपराध संख्या 16/2024–2025 के सम्बन्ध में।

दादरी वन अपराध संख्या 16/2024–2025 से सम्बन्धित नोटिस आपको संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक: नोटिस मूल में।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

NOTARY
Suresh Kumar
Distt. Lucknow
GOVT. OF UP INDIA

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

वनाम

[illegible] खान पुत्र रऊफ खान
निवासी गाव यावल खेडी
[illegible]

NOTARY
GOVT. OF U.P. INDIA

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक [illegible].06.2024 को [illegible] कम्पनी ग्रेटर नौएडा में अवैध रुप से नीम, यूकेलिप्टस व सुबबूल के पेड़ों को काट कर ढुलान उनका ढुलान किया जा रहा था, जिसका वन अपराध संख्या [illegible]/2024-25/दादरी आपके नाम से दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में आप दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 11 बजे कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी रेंज ई-1, सैक्टर-1 नोएडा में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

यदि आप या आपका प्रतिनिधि नियत तिथि व नियत स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं तो आपके विरूद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 के प्राविधानों के अनुरुप अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

शनि गौतम
वन दरोगा

तसीम

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

बनाम

मु.साहिद खान पुत्र अबरार खान
निवासी ग्राम [illegible] खेड़ी
जिला अमरोहा

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 10.06.2024 को डेवू कम्पनी ग्रेटर नौएडा में अवैध रुप से नीम, यूकेलिप्टस व सूबबूल के पेड़ों [illegible] ढुलान उनका ढुलान किया जा रहा था, जिसका वन अपराध संख्या [illegible] 2024-25 / दादरी आपके नाम से दर्ज किया गया है। इस संबंध में आप दिनांक [illegible] 2024 को प्रातः 11 बजे कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी रेंज ई-1, सेक्टर-1 [illegible] या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। [illegible] या आपका प्रतिनिधि नियत तिथि व नियत स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं तो [illegible] वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व उ०प्र० अभिवहन नियमावली 1978 के प्राविधानों [illegible] अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

Shani
शनि गौतम
वन दरोगा

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

मुसाहिद

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

बनाम

[illegible] लैण्ड कापर्ट प्रा०लि०
सूरजपुर ग्रेटर नौएडा
जिला गौतमबुद्धनगर

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा [illegible] 10.06.2024 को डेढू कम्पनी ग्रेटर नौएडा में अवैध रुप से नीम, यूकेलिप्टस व [illegible] का कटान कर ढुलान उनका ढुलान किया जा रहा था, जिसका वन अपराध [illegible] 16/2024–25/दादरी आपके नाम से दर्ज किया गया है। इस संबंध में आप दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 11 बजे कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी रेंज ई–1 [illegible] नौएडा में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

यदि आप या आपका प्रतिनिधि नियत तिथि व नियत स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं [illegible] आपके विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व उ०प्र० अभिवहन नियमावली 1978 के प्राविधानों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

शनि गौतम
वन दरोगा

Deepak Gupta

NOTARY
GOVT. OF U.P. INDIA

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी ई–1 सैक्टर–1 नौएडा

पत्रांक 1027 / 28–1 दादरी, दिनांक 29.06.2024

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

बनाम

शकुन्तलम लैण्ड काफ्ट प्रा0लि0
सूरजपुर ग्रेटर नौएडा
जिला गौतमबुद्धनगर

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 25.06.2024 को डेवू कम्पनी ग्रेटर नौएडा में अवैध रुप से सूबबूल के पेडों को कटवाया गया था जिसका वन अपराध संख्या 21/2024–25/दादरी आपके नाम से दर्ज किया गया है। इस संबंध में आप दिनांक 12.07.2024 की प्रातः 11 बजे कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी ई–1 सैक्टर–1 नौएडा, में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

यदि आप या आपका प्रतिनिधि नियत तिथि व नियत स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं, तो आपके विरूद्व वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 प्राविधानों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी ई–1 सैक्टर–1 नौएडा

पत्रांक 91/28–1 दिनांक 07.08.2024

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

बनाम

शकुन्तला लैण्ड कापट प्रा0लि0
एच 27, डब्लू–8, ई–लेन, वेस्टर्न एवन्यू
सैनिक फार्मस, साउथ दिल्ली–110062

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 25.06.2024 को डेवू कम्पनी (आपके द्वारा अधिग्रहित) ग्रेटर नौएडा में अवैध रुप से नीम, यूकेलिप्टस व सूबबूल के पेडों को काट कर उनका ढुलान किया जा रहा था, जिसका वन अपराध संख्या 21/2024–25/दादरी आपके नाम से दर्ज किया गया है। इस संबंध में आप दिनांक 14.08.2024 को प्रातः 11 बजे कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी रेंज ई–1, सैक्टर–1 नौएडा, में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें ।

यदि आप या आपका प्रतिनिधि नियत तिथि व स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं, तो आपके विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 के प्राविधानों के अनुरुप अन्तिम निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

NOTARY
GOVT. OF UP INDIA

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

भारतीय डाक

EU430376902IN IVR:6985430376902
SP SEC 16 NOIDA SO (201301)
Counter No:4,12/08/2024,12:45
To:SHAKUNTA,,
PIN:110062, Pushpa Bhawan SO
From:FOREST OFFICER,DELHI
Wt:15gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

अन्तिम नोटिस

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज ई–1 सैक्टर 1 नोएडा।
पत्रॉक 648/28–1 दिनॉक 13.02.2025।

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

बनाम

1– यश गुप्ता, निदेशक
शकुन्तलम लैण्ड काफ्ट प्रा0 लि0,
एच–27, डब्लू–8, ई–लेन, वेस्टर्न एवन्यू
सैनिक फार्मस, साउथ दिल्ली–110062।

2– पल्लवी गुप्ता, निदेशक
शकुन्तलम लैण्ड काफ्ट प्रा0 लि0,
एच–27, डब्लू–8, ई–लेन, वेस्टर्न एवन्यू
सैनिक फार्मस, साउथ दिल्ली–110062।

3– आशीष गुप्ता
शाकुन्तलम लैण्ड काफ्ट प्रा0 लि0,
एच–27, डब्लू–8, ई–लेन, वेस्टर्न एवन्यू
सैनिक फार्मस, साउथ दिल्ली–110062।

4– दीपक गुप्ता, ऑथराईजड सिगनेटरी
शाकुन्तलम लैण्ड काफ्ट प्रा0 लि0,
एच–27, डब्लू–8, ई–लेन, वेस्टर्न एवन्यू
सैनिक फार्मस, साउथ दिल्ली–110062।

5– अनिल कुमार जैन, सी0ए0,
शाकुन्तलम लैण्ड काफ्ट प्रा0 लि0,
एच–27, डब्लू–8, ई–लेन, वेस्टर्न एवन्य
सैनिक फार्मस, साउथ दिल्ली–110062।

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अधिग्रहित डेबू मोटर्स कम्पनी ग्रेटर नोएडा (Plot No A-1 Situated at Surajpur Industrial Area, Noida- Dadri Road, Greater Noida) में किये वृक्षों के अवैध कटान में वन अपराध सं0 16/2024–25 दिनांक 10.06.2024 एवं वन अपराध सं0 21/2024–25 दिनांक 25.06.2024 को दादरी रेंज में इजरा किया गया, जिसके कम में इस कार्यालय के पत्रांक 1001/28–1 दिनांक 10.06.2024, 1027/28–1 दिनांक 29.06.2024 एवं पत्रांक 91/28–1 दिनांक 07.08.2024 द्वारा आपको अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था, परन्तु आपके द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अवैध कटान के सम्बन्ध में अपना पक्ष नहीं रखा गया है। अपितु प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये गये पत्र में भी अवैध कटान के सम्बन्ध में आपके द्वारा अपना पक्ष मय साक्ष्य नहीं रखा गया है।

कमशः पृष्ठ 02 पर

अतः अवैध कटान के सम्बन्ध में आप स्वयं अपना पक्ष रखने हेतु इस अन्तिम नोटिस के क्रम [दि]नांक 21.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय, दादरी रेंज, ई–1, सैक्टर–1, नोए[डा] में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदि आप इस अन्तिम नोटिस पर नियत तिथि व स्थान पर उपस्थित नही होते हैं, तो यह मानते हुये कि उपरोक्त अवैध कटान आपने अपनी स्वेच्छा से कराया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरूद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 व उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 के प्राविधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

Anamika
क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

O/C

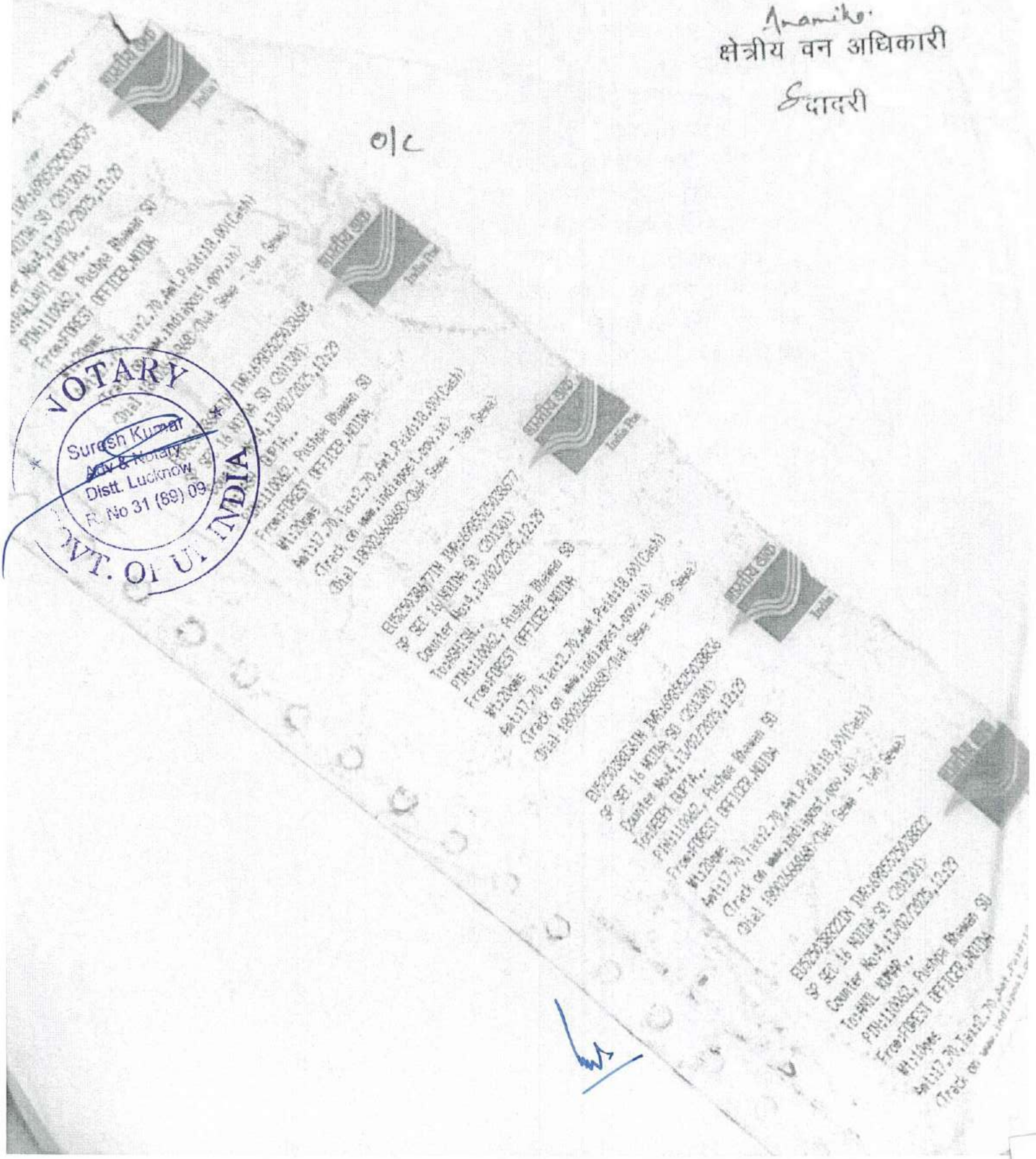

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज ई–1 सैक्टर 1 नोएडा।

पत्रॉक 692 /28–1 दिनॉक 24/02/25 ।

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

बनाम

सेवा में,

मुजाहिद खान पुत्र अबरार खान
निवासी–गांव बावल खेड़ी
जिला–अमरोहा।

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 10.06.2024 को डेवू कम्पनी ग्रेटर नौएडा में अवैध रूप से नीम, यूकेलिप्टस व सूबबूल पेड़ों को काटा गया तथा उनका ढुलान किया जा रहा था, जिसका वन अपराध संख्या 16/2024–25/दादरी आपके नाम से दर्ज किया गया है। इस संम्बन्ध में आप दिनांक 03.03.2025 को प्रातः 12.00 बजे कार्यालय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज, ई–1, सैक्टर–1 नौएडा स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

यदि आप नियत तिथि स्थान पर अनुपस्थित रहते है तो आपके विरुद्व विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

NOTARY Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow No 31 (9) 09 GOVT. OF INDIA

EU525002045IN IVR:6985525002045
SP SEC 16 NOIDA SO (201301)
Counter No:4,24/02/2025,14:36
To:WASIM KHAN..
PIN:244241, Hasanpur SO Jyotiba Phule Nagar
From:FOREST OFFICE,NOIDA
Wt:20gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.30(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)

भारतीय डाक
India Post

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज ई–1 सैक्टर 1 नोएडा

पत्रॉक 691 /28–1 दिनॉक 24/02/25।

वन विभाग, उत्तर प्रदेश

बनाम

सेवा में,

वसीम खान पुत्र रऊफ खान
निवासी–गांव बावल खेड़ी
जिला–अमरोहा।

नोटिस

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 10.06.2024 को डेवू कम्पनी ग्रेटर नौएडा में अवैध रूप से नीम, यूकेलिप्टस व सूबबूल के पेड़ों को काटा गया तथा उनका ढुलान किया जा रहा था, जिसका वन अपराध संख्या 16/2024–25/दादरी आपके नाम से दर्ज किया गया है। इस संम्बन्ध में आप मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 02.12.2024 के कम में अपने वाहन के साथ दिनांक 03.03.2025 को प्रातः 12.00 बजे कार्यालय, सूरजपुर नर्सरी, ग्रेटर नौएडा में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

यदि आप नियत तिथि स्थान पर अनुपस्थित रहते है तो आपके विरूद्व विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दादरी

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

भारतीय डाक
India Post

EU525001224IN IVR:69355250012
SP SEC 16 NOIDA SO <201301>
Counter No:4,24/02/2025,14:36
To:MUZAHIDDIN KHAN,,
PIN:244241, Hasanpur SO Jyotiba Phule Nagar
From:FOREST OFFICE,NOIDA
Wt:20gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868)(Wear mask -Stay safe)

SHAKUNTALAM LANDCRAFT PRIVATE LIMITED

CIN : U70200DL2013PTC258809

ANNEXURE-14

SLPL/DG/24-25/001

दिनांक: 19.02.2025

सेवा में,

रेंजर वन अधिकारी,
दादरी रेंज - ई 1, सेक्टर-1, नोएडा,
वन विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्लॉट नंबर A-1, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा में कथित अवैध पेड़ कटाई के संबंध में नोटिस (648/28-1) दिनांक 13.02.2025 के प्रत्युत्तर में।

माननीय महोदय/महोदया,
हम आपके 13.02.2025 को जारी नोटिस को प्राप्त करने की पुष्टि करते हैं, जिसमें प्लॉट नंबर A-1, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा में कथित अवैध पेड़ कटाई का उल्लेख है। इस संबंध में, हम सम्मानपूर्वक निम्नलिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं:

1. संपत्ति का स्वामित्व और कानूनी बाधाएँ
उक्त संपत्ति का स्वामित्व माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), मुंबई के आदेशानुसार 24 मई 2024 को शकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। यह हस्तांतरण सशर्त था और संपत्ति पर किसी भी तृतीय पक्ष अधिकारों के निर्माण को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया था। परिणामस्वरूप, केवल मुख्य द्वार पर न्यूनतम सुरक्षा प्रबंध किए गए, क्योंकि संपत्ति के विकास पर कानूनी प्रतिबंध थे।

2. टूटी हुई बाउंड्री दीवारें और अवैध प्रवेश
यह संपत्ति 204 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और पिछले 22 वर्षों से खाली पड़ी है, जिसके कारण इसकी सीमा दीवारें जर्जर हो गई हैं। कई हिस्सों में दीवारें टूट चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों द्वारा अवैध प्रवेश की घटनाएँ बढ़ गई हैं। इस कारण अतिक्रमण रोकना अत्यंत कठिन हो गया है।

3. बिजली कनेक्शन न मिलने से सुरक्षा चुनौतियाँ
संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए हमने नोएडा पावर से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था ताकि रोशनी और निगरानी की जा सके। लेकिन हमारा आवेदन यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि "प्लॉट अभी तक हमारे नाम पर पंजीकृत नहीं हुआ है"। इसके परिणामस्वरूप, प्रकाश और निगरानी उपकरण स्थापित नहीं किए जा सके, जिससे सुरक्षा उपाय प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सके।

4. वनस्पति और वन्यजीवों के कारण गश्त में कठिनाई
लंबे समय से खाली रहने के कारण साइट पर झाड़ियाँ और जंगली वनस्पति बहुत अधिक उग गई हैं। इसके अलावा, सर्प और अन्य खतरनाक जीवों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा कर्मियों के लिए गहरी गश्त करना अत्यधिक कठिन हो गया है। गिरे हुए पेड़ों और झाड़ियों के कारण आंतरिक मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में निर्बाध आवाजाही संभव नहीं हो पाई।

5. स्थानीय अतिक्रमण और लकड़ी तथा चारे का संग्रहण
वर्षों से स्थानीय लोग इस क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर जलावन लकड़ी और पशुओं के चारे के लिए झाड़ियाँ काटते रहे हैं। यह प्रथा हमारी संपत्ति के कब्जे में आने से पहले से चली आ रही है। हमारे सुरक्षा दल ने कई बार स्थानीय लोगों को सूखी झाड़ियाँ और गिरी हुई शाखाएँ इकट्ठा करते हुए देखा है।

Shakuntalam Landcraft Pvt. Ltd
Authorised Signatory

NOTARY INDIA

SHAKUNTALAM LANDCRAFT PRIVATE LIMITED
CIN : U70200DL2013PTC258809

6. खुले प्रवेश द्वारों से वाहनों की आवाजाही
संपत्ति पर कोई कार्यशील द्वार नहीं होने के कारण, कई वाहन टूटे हुए बाउंड्री वॉल के माध्यम से अनधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे थे।

7. कथित अवैध पेड़ कटाई से कोई संबंध नहीं
हम यह स्वीकार करते हैं कि स्थानीय लोगों द्वारा झाड़ियों को जलावन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए काटा गया होगा, लेकिन हम किसी भी अवैध पेड़ कटाई में शामिल होने के आरोप को सख्ती से नकारते हैं। चूँकि संपत्ति के चारों ओर खुली पहुंच बनी हुई थी, अतः किसी बाहरी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा यह कार्य किया जा सकता था। हमारे सुरक्षा दल के पास कोई रिकॉर्ड या जानकारी नहीं है जिससे यह साबित हो कि पेड़ कटाई हमारी ओर से की गई थी।

8. संपत्ति का कब्जा यूपीसिडा द्वारा लिया गया और सील किया गया
दिनांक 07 अगस्त 2024 को यूपीसिडा (UPSIDA) द्वारा इस संपत्ति का कब्जा लिया गया और 09 जुलाई 2024 को वन विभाग द्वारा इसे सील कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य द्वार को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा चुरा लिया गया, जिस स्थान पर वन विभाग और यूपीसिडा ने सील लगाई थी। यह घटना संपत्ति की असुरक्षा और खुले प्रवेश बिंदुओं की भेद्यता को दर्शाती है।

9. सरकारी रिपोर्ट के अनुसार काटी गई वनस्पति प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं
हमें ज्ञात हुआ है कि आपकी रिपोर्ट के अनुसार, काटी गई झाड़ियों की श्रेणी चारा और जलावन लकड़ी की है, जो पिछले 22 वर्षों से साइट के खाली रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उग गई थी। यह वन विभाग के अधिसूचना संख्या 24/81-5-2020-07-93 दिनांक 07 जनवरी 2020 के अनुसार प्रतिबंधित वृक्षों की सूची में नहीं आती है।

10. पहले प्राप्त नोटिस का उत्तर पूर्व में दिया जा चुका है
हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमें इससे पहले नोटिस संख्या 1027/28-1 दिनांक 29/06/2024 प्राप्त हुआ था, जिसका उत्तर हमने दिनांक 12/07/2024 को प्रस्तुत कर दिया था। इसकी प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है।

निष्कर्ष
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित प्रस्तुत करना चाहते हैं:

- शकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कथित पेड़ कटाई न तो की गई थी और न ही इसकी अनुमति दी गई थी।
- संपत्ति की वर्तमान स्थिति और अपर्याप्त सुरक्षा अवसंरचना हमारे नियंत्रण से बाहर है।
- अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत पहुंच का मुख्य कारण संपत्ति की संरचनात्मक समस्याएँ और कानूनी प्रतिबंध हैं, जैसा कि उपरोक्त विवरण में स्पष्ट किया गया है।
-

अतः, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा करें। हम एक कानून का पालन करने वाला संगठन हैं और पर्यावरणीय नियमों का पूरा सम्मान करते हैं। साथ ही, हम इस विषय पर उचित समाधान निकालने हेतु प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

अतः, हम माननीय अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें इस मामले से संबंधित किसी भी कार्यवाही या जाँच से मुक्त करें।

Shakuntalam Landcraft Pvt. Ltd
Deepak Gupta
Authorised Signatory

SHAKUNTALAM LANDCRAFT PRIVATE LIMITED

CIN : U70200DL2013PTC258809

सादर,

Shakuntalam Landcraft Pvt. Ltd

Deepak Gupta

Authorised Signatory

(दीपक गुप्ता)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

शकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक:

स्थान:

संयुक्त प्रत्युत्तर प्रस्तुतकर्ता:

- **यश गुप्ता** - निदेशक, शकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
- **पल्लवी गुप्ता** - निदेशक, शकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
- **आशीष गुप्ता** - निदेशक, शकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89)
GOVT. OF UP INDIA

टिप्पणी:

श्री अनिल जैन पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कंपनी को वित्तीय एवं लेखा परामर्श आवश्यकतानुसार प्रदान करते हैं, किंतु वे कंपनी के दैनिक संचालन में शामिल नहीं हैं।

ANNEXURE-15

Case Details

Case Type	Warrant Or Summons
Filing Number	18658/2025
Filing Date	25-03-2025
Registration Number	11230/2025
Registration Date	25-03-2025
CNR Number	UPGB040186622025

NOTARY Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow R. No 31 (89) 09 GOVT. OF INDIA

Case Status

First Hearing Date	18-05-2025
Next Hearing Date	18-05-2025
Case Stage	Hearing
Court Number And Judge	11-ACJM-I

Case Details

Case Type	Warrant Or Summons
Filing Number	18661/2025
Filing Date	25-03-2025
Registration Number	11225/2025
Registration Date	25-03-2025
CNR Number	UPGB040186652025

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 81
GOVT. OF INDIA

Case Status

First Hearing Date	18-05-2025
Next Hearing Date	18-05-2025
Case Stage	Hearing
Court Number And Judge	11-ACJM-I

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम गौतमबुद्ध नगर।

परिवाद संख्या- 2274/25
बनाम
धारा- 223 भा०ना०सु०सं०
थाना-

दिनांक- 24.3.25

NOTARY * INDIA * GOVT. OF INDIA

आज यह परिवाद पत्र मय शपथ पत्र परिवादी द्वारा अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो। विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी हो। परिवाद दिनांक .... को परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 223 भा०ना०सु०स० एवं विपक्षी की उपस्थिति हेतु पेश हो।

प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम गौतमबुद्ध नगर।

परिवाद संख्या- 2276/12

बनाम

धारा- 223 भा०ना०सु०सं०

थाना-

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF U.P. INDIA

दिनांक- 25.3.25

आज यह परिवाद पत्र मय शपथ पत्र परिवादी द्वारा अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो। विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी हो। परिवाद दिनांक 18/8/25 को परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 223 भा०ना०सु०स० एवं विपक्षी की उपस्थिति हेतु पेश हो।

जारी

प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।

ANNEXURE-16

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

क्षेत्रीय कार्यालयः
प्रशासनिक भवन,
ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र साईट–5,
सूरजपुर कासना, ग्रेटर नोएडा
फोन: 0120–2341595
ई–मेलः rmsurajpur@upsida.com
वेब साईटः www.onlineupsida.com
जीएसटी न0 : 09AAACU1759K1Z

मेसर्स शकुन्तलम लैण्ड क्राफ्ट प्रा0लि0,
एच–27, डब्लू–8,ई–लेन, वेस्टर्न एवेन्यू,
सैनिक फार्म, साऊथ दिल्ली,
दिल्ली–62

द्वेषभाव रहित
स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या 1236 /यूपीसीडा/

दिनांक : 07-08-2024

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & ...
Distt. ...
R. No. ...89/09
GOVT. OF U.P. INDIA

विषय : भूखण्ड सं.ए–1 औ0क्षे0 सूरजपुर साईट–ए, गौतम बुद्ध नगर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 15.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भूखण्ड सं. ए–1 औ0क्षे0 साईट–ए, सूरजपुर, जिला–गौतमबुद्ध नगर के विक्रय के सम्बन्ध में रिकवरी आफीसर, डीआरटी–2, मुम्बई के ... दिनांक 01.05.2024 की प्रति संलग्न करते हुये संदर्भित प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु जानकारी के लिए ... किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना कि उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 18.11.1987 में वर्णित उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने, भूउपयोग लगभग 14 वर्षों से न करने, यूपीसीडा के बकाया धनराशि का भुगतान न करने के कारण यूपीसीडा के संचालक मण्डल की 46वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.07.2024 में उक्त भूखण्ड को निरस्त करते हुये भूखण्ड का पुनः भौतिक कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त करने का निर्णय पारित किया गया ।

यूपीसीडा बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में मुख्यालय के अनुमोदन पत्र सं. 1776 दिनांक 05.08.2024 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं.1175–79 दिनांक 06.08.2024(प्रति संलग्न) द्वारा, उक्त भूखण्ड की निष्पादित लीजडीड दिनांक 18.11.1987 की शर्तों का उल्लंघन किये जाने एवं उक्त भूखण्ड के सापेक्ष बकाया देय धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण, भूखण्ड सं.ए–1 औ0क्षे0 सूरजपुर साईट–ए का आवंटन निरस्त किया जा चुका है तथा भूखण्ड की रि–इन्ट्री करते हुये भूखण्ड का भौतिक कब्जा यूपीसीडा द्वारा वापस ले लिया गया है।

कृपया अपने उपरोक्त पत्र दिनांक 15.5.2024 के क्रम में उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : निरस्तीकरण आदेश दिनांक 06.08.2024 की प्रति।

7/8/24
(अनिल कुमार शर्मा)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

पृ0सं0 /यथोक्त दिनांक –08–2024

1. प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि महाप्रबन्धक(विधि),यूपीसीडा,मुख्यालय, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि प्रभारी(औ0क्षे0), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार शर्मा)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

ANNEXURE-17

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर
पत्रांक 7224/33-3 दिनॉक गौतमबुद्धनगर /18-6-2024।
सेवा मे,

पुलिस उपायुक्त
गौतमबुद्धनगर।

विषय:- 2003 से बन्द पडी डेवू मोटर्स इण्डिया लि0 कम्पनी की जमीन पर अवैध रूप से कम्पनी में बिना किसी एन0ओ0सी0 के चोरी छीपे हरे पेड काटे जाने एवं भरे भरे पेड काटने से रोकने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर का पत्रांक 1321/दिनांक 14-06-2024

महोदय,

जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर के उक्त संदर्भित पत्र के साथ डी0एम0आई0एल0 एम्पलाई यूनियन रजि0 7015सह सचिव उपेन्द्र सिह एवं समस्त यूनियन कार्यकारणी का पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लिखित किया गया है कि डेवू मोटर्स इण्डिया लि0 कम्पनी परिसर में बिना अनुमति के अवैध पातन करने की शिकायत करने पर पुलिस द्वारा एक ट्रक हरे पेड से भरा हुआ, ट्रेक्टर जनरेटर, एक लकडी लादने वाला मशीन एंव आठ आरा ... मौके पर बरामद की गयी।

डी0एम0आई0एल0 एम्पलाई यूनियन रजि0 7015सह सचिव उपेन्द्र सिह द्वारा अवगत कराया गया ... उक्त कृत्य श्री आशीष गुप्ता व अनिल जैन व सुपरवाईजर तथा अज्ञात बाउन्सरो द्वारा किया गया है एवं उनके विरूद्ध थाना ईकोटे तृतीय में एफ0आई0आर0 दर्ज करने एवं जान-माल की सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त संदर्भित पत्र की प्रति इस अनुरोध कि साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं कि कृपया उक्त संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर।

पत्रॉक 7224 / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनग।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 7224 / दिनॉक्ति।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वन विभाग से संबधित बिन्दुओं पर तत्काल नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही इस कार्यालय को अवगत करायें।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

NOTARY Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow R. No 31 (99) 09 GOVT. OF U.P. INDIA

ANNEXURE-18

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1 नोएडा।
पत्रांकः 251 / 33-3 , दिनांक गौतमबुद्धनगर 10-7 –2024 ।

सेवा मे,

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
यू0पी0एस0आई0डी0ए0,
ग्रेटर नोएडा।

विषय– डेवू मोटर्स इण्डिया लि0 कम्पनी परिसर, ग्रेटर नोएडा में अवैध कटान के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप विदित ही है कि दिनांक 10–06–2024 व 25–06–2024 को डेवू कम्पनी परिसर में 975 बबूल, 3 नीम, 2 यूकेलिप्टस के पेड़ों का कटान हुआ है। अवैध कटान के सम्बन्ध मे पर्याप्त कार्यवाही किये जाने के उपरान्त भी पुनः कटान की कार्यवाही हुई है। अतः भविष्य में अवैध कटान को रोकने के सम्बन्ध में दिनॉक 09–07–2024 को जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से अनुमोदन प्राप्त कर डेवू कम्पनी अधिग्रहित शकुन्तलम लैण्डक्राफ्ट प्रा0लि0 के गेट संख्या–1 को सील करने की कार्यवाही की गयी। इस कार्यालय की पत्र संख्या 202/33–3 दिनॉक 09–07–2024 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को डेवू कम्पनी परिसर को सील करने की कार्यवाही एवं पूर्ण औपचारिकता करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है। मौके पर आपके प्रतिनिधि द्वारा कार्यवाही में सम्मिलित होकर संयुक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गये।

चूँकि भूमि का स्वामित्व यू0पी0एस0आई0डी0ए0 का है। अतः अवैध कटान के सम्बन्ध में आपके स्तर से कृत कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः 251 / 33-3 , दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर

NOTARY Suresh Kumar Adv & Notary Distt. Lucknow No 31 (89) 09 GOVT. OF U.P.

ANNEXURE-19

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्वनगर वन प्रभाग गौतमबुद्वनगर
पत्रॉक 563 /35–3 दिनॉक गौतमबुद्वनगर 27–07–2024।

सेवा में,

क्षेत्रीयी अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
ग्रेटर नोएडा।

विषयः– ओ०ए० संख्या 820/2024 के आदेश के बिन्दु संख्या–3 के संबध में सूचना उपलब्ध कराना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 820/2024 के बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित "पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गयी है।

कृपया उक्त प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– आदेश की प्रति।

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

भवदीय,

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

ANNEXURE-20

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई–1, सै0–1, नौएडा।

पत्रांक: 4844 / 35–3 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 06–05–2025।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
ग्रेटर नोएडा।

विषय:– ओ0ए0 संख्या 820 / 2024 के आदेश के बिन्दु संख्या–3 के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– इस कार्यालय का पत्रॉक 563 / 35–3 दिनॉक 27–07–2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 820 / 2024 के बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित "पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी थी। उक्त वॉछित सूचना अद्यतक इस कार्यालय में प्राप्त नही हुई है।

कृपया उक्त प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जा सकें। यहॉ यह भी अवगत कराना है कि प्रकरण में सुनवायी की आगामी तिथि 13–05–2025 नियत है।

संलग्नक:– आदेश की प्रति।

भवदीय

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

NOTARY
Suresh Kumar
Adv & Notary
Distt. Lucknow
R. No 31 (89) 09
GOVT. OF UP INDIA

गूल में नही।

पत्रॉक 4844 / 35–3 दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0मेरठ।

2:– वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ।

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 4844 / 35–3 दिनॉकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्धनगर

पत्रॉक 3617 / 2–1 गौतमबुद्धनगर दिनॉक 11–02–2025।

ANNEXURE-21

सेवा मे,

जनरल मैनेजर,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0
ग्रेटर नोएडा

विषयः– डेवू मोटर्स इण्डिया लि0 कम्पनी परिसर अवैध कटान के संवंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक क्रम में आप विदित ही कि विगत दिनो में डेवू कम्पनी जिसकी कुल भूमि 200 एकड है जो कि 20 वर्षो से अधिक समय से बन्द होने के कारण प्राकृतिक पुनरोत्पादन के कारण सुबबूल एवं अन्य प्रजातियों के पेडो से अच्छादित हो गयी है जिसमे से लगभग 2 ऐकड में अवैध पातन पाया गया था। इस संबंध में उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचराधीन है एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन दिनांक 11–02–2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया चूँकि यू0पी0सीडा की भूमि चारो तरफ से असुरक्षित है जहॉ पर अवांछनीय तत्व घूमते पाये गये उक्त भूमि को सुरक्षित करने एवं अग्रिम अवैध पातन न होने के लिए आवश्यक होगा कि कृपया उक्त कम्पनी की बाउण्ड्रीवाल./फैन्सिंग, गेट आदि की मरम्मत करा लिया जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुर्नारवृत्ति न होने पाये एवं वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 में निहित प्राविधानो का अनुपालन हो सके। क्योंकि वर्तमान में उक्त कैम्पस आपके स्वामित्व मे है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी दशा में वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 में निहित प्राविधानो का उल्लंघन न होने पाये।

कृपया तदानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई, दिल्ली के निर्देशो अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके कृपया कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग

पत्रॉक / दिनॉकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमित रूप से उक्त स्थल का निरीक्षण करने हेतु अधीनस्थ स्टाफ की डयूटी लगाना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग
गौतमबुद्ध

पत्रॉक / दिनॉकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी

NOTARY GOVT. OF INDIA
Adv & Notary
Distt. Lucknow